सोलहवीं

वार्षिक रिपोर्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

(अप्रैल 1, 2020 से मार्च 31, 2021)

हिमाचल प्रदेश

राज्य सूचना आयोग

क्योंथल कॉम्पलैक्स
खलिनी, शिमला–171002

दूरभाष : 0177–2620166 2629894 2621529
ई मेल : scic-hp@nic.in
वैबसाइट : sic.hp.gov.in

विषय सूची

अध्याय संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा हि0प्र0 सूचना का अधिकार नियम, 2006	1—7
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग की भूमिका तथा उत्तरदायित्व	8—12
3.	अधिनियम का कार्यान्वयन (वर्ष 2020—21 के दौरान हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग द्वारा अपीलों तथा शिकायतों का निपटान)	13—15
4.	हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग : 2020—21 महत्वपूर्ण आकड़ों की एक झलक	16—18
5	अधिनियम का कार्यान्वयन (हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2020—21 के दौरान विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के जन सूचनाअधिकारियों/ प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा आवेदनों/अपीलों का निपटान)	19—26
6.	पिछले सोलह वर्षों के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	27—36
7.	सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा सूचना आयोग द्वारा नई पहल	37—38
8.	अभिमत एवं संस्तुतियां/सिफारिशें	39—45

अध्याय –1

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा हि0प्र0 सूचना का अधिकार नियम, 2006

भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 15 जून 2005 को अधिसूचित किया गया । यह अधिनियम 12 अक्तूबर 2005 को लागू हुआ लेकिन इस अधिनियम के कुछ प्रावधान तुरन्त लागू हो गए थे । इन उपबन्धों के अन्तर्गत सूचना आयोगों का गठन करना, जन सूचना अधिकारियों/ सहायक जन सूचना अधिकारियों को नामित करना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों को बनाया जाना था । इस अधिनियम का एक व्यापक कार्यक्षेत्र है और इसमें सभी निकाय शामिल है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के समस्त विभाग एवं उपक्रम, पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकाय, सरकार द्वारा गठित, शासित, स्थापित, नियन्त्रित अथवा वितपोषित अन्य निकाय जिनमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। सभी भारतीय नागरिक इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यापक तथा विस्तृत सूचना प्राप्त कर सकते हैं जिसमें केवल बहुत कम ऐसी सूचनाएं हैं जिन्हें न देने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

2 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के मुख्य प्रावधान निम्न है :–

(i) कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से बिना कोई कारण बताए सूचना मांग सकता है ।

(ii) श्री राज नारायण का उच्चतम न्यायालय में निर्णित मामला तथा न्यायधीशों की न्युक्तियों के मामले से अभिज्ञात हुआ है कि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) (अ) के अन्तगर्त मौलिक अधिकार में आता है।

(iii) अधिनियम की धारा 8, 9 में दी गई छूट के अतिरिक्त बाकि मांगी गई सूचना जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान करनी होगी ।

(iv) अधिनियम सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डो, स्थानीय शहरी निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा सरकार द्वारा स्थापित,गठित,नियंत्रित अथवा वित्तपोषित निकायों पर, लागू होता है जिनमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं।

(v) जन सूचना अधिकारी आवेदकों को सूचना प्रदान करते अथवा आवेदनों को अस्वीकृत करते हुए सकारण पत्र व्यवहार करेंगें । इसी प्रकार अपीलीय अधिकारियों को भी सकारण एवं स्वतः स्पष्ट आदेश पारित किए जाने अपेक्षित होंगें ।

(vi) सूचना उपलब्ध करवाने के लिए समय सीमा ही महत्वपूर्ण है।

(vii) सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा चूक के मामले में दण्ड के द्वारा उतरदायित्व निश्चित होता है।

3 अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों को निम्न कर्त्तव्य और दायित्व विदित करता हैः–

(i) अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुरूप सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा उनके कार्यों सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर स्वेच्छा से सूचना का प्रकटीकरण करना होगा जिसे हर वर्ष अद्यतन किया जाना अपेक्षित होगा ।

(ii) सभी सरकारी विभाग/संस्थान सूचना देने के प्रयोजन से अपेक्षित संख्या में जन सूचना अधिकारियों को नामित करेंगें तथा आवेदन प्राप्त करने तथा उन्हें जन सूचना अधिकारियों को अग्रेषित करने हेतु सहायक जन सूचना अधिकारियों को नामित करेंगे ।

(iii) सार्वजनिक प्राधिकरणों को अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारियों के विरूद्ध की गई प्रथम अपीलों पर विचार करने एवं निर्णय देने हेतु अपीलीय अधिकारी नामित करने होंगे ।

4 अधिनियम में 'सूचना', 'अभिलेखों' और 'सूचना का अधिकार' की परिभाषाएं निम्न हैं :–

(i) ''सूचना'' से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक,संविदा,रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकडों संबधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना सहित,जिस का तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है ।

(ii) ''अभिलेखों'' में निम्नलिखित सम्मिलित है –

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल :

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म,माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रतिः

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरूत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो) : और

(घ) किसी कम्पयूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्रीः

(iii) ''सूचना का अधिकार'' से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्रधिकारी द्वारा या उसके नियन्त्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है :

(i) कृति दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण :

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना :

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना :

(iv) डिस्क, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रूप में यह प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना को जहां ऐसी सूचना किसी कम्पयूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है अभिप्राप्त करना।

5 सूचना का अधिकार अधिनियम में लोक प्राधिकारी की परिभाषा निम्न है :

''लोक प्राधिकारी'' से :–

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन :

(ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा :

(ग) राज्य विधान–मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा :

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है : और इसके अन्तर्गत –

(i) कोई ऐसा निकाय है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियन्त्रणाधीन, या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है :

(ii) कोई ऐसा गैर–सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है ।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 22 के उपबंध, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से

अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

7. यह अधिनियम, धारा 8 और 9 के अन्तर्गत जिन सूचनाओं को प्रकट किए जाने से छूट प्रदान करता है, उनका संक्षिप्त रूप निम्न प्रकार हैः—

- सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से सम्बन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्धीपन होता हो ;
- सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती है ;
- सूचना, जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधानमण्डल के विशेषाधिकार के भंग का कारण होगा ;
- सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी तीसरी पार्टी की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;
- किसी व्यक्ति को उसके प्रत्ययी सम्बन्ध के बारे में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है ;
- किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना ;
- सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा ;
- सूचना, जिससे अपराधों के अन्वेषण, अपराधियों के पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी ;
- मन्त्रिमण्डल के कागजपत्र, जिसमें मन्त्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है ;
- सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से सम्बन्ध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण करता है ।

हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 :

8 इस अधिनियम की धारा 27 और 28 के उपबन्धों के प्रभावशाली तथा सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु नियम बनाने के लिए विनियोजित सरकारों तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी को शक्तियां प्रदत्त है। हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006, राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी, 2006 को अधिसूचित किए गए। ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त हो गए हैं। परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश विधानसभा तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमों को अधिसूचित किया गया है । हिमाचल विधानसभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क व लागत) नियम, 2006, 15 जून 2006 को तथा हिमाचल प्रदेश उच्चन्यायालय सूचना का अधिकार नियम, 2005, 30 नवम्बर, 2005 को अधिसूचित किए गए। हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006, राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी, 2006 को अधिसूचित किए गए।

9 इन नियमों की प्रमुख विशेषताएं निम्न है :–

(i) कोई भी व्यक्ति जो सूचना प्राप्त करना अथवा रिकार्ड का निरीक्षण करना चाहता है को निर्धारित शुल्क की अदायगी के प्रमाण सहित सम्बन्धित प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी/ सहायक जन सूचना अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।

(ii) गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) श्रेणी के आवेदकों से सूचना प्राप्त करने अथवा किसी अभिलेख के निरीक्षण के लिए किसी भी शुल्क की अदायगी अपेक्षित नहीं है ।

(iii) प्रत्येक विषय तथा प्रत्येक वर्ष से सम्बन्धित सूचना लेने के लिए अलग – अलग आवेदन पत्र दायर किया जाना अपेक्षित है ।

(iv) आवेदक को जारी की गई सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक का नाम दर्शाते हुए तथा जन सूचना अधिकारी की मोहर, हस्ताक्षर तथा तिथि सहित, विधिवत् प्रमाणिकृत किया जाएगा ।

(v) दस्तावेजों को प्रदान करने एवं उनके निरीक्षण के हेतु लिए जानेवाले शुल्क की दर नीचे दी गई है :–

क्रम संख्या	सूचना का विवरण	मूल्य/शुल्क रूपयों में
1	आवेदन के साथ शुल्क	10/–रू0 प्रति आवेदन
2	जहां सूचना समूल्य प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो	प्रकाशित मूल्य पर

3	समूल्य प्रकाशनों के अलावा	2/–रू0 प्रति पृष्ठ (ए–4 आकार अथवा कम के लिए) बडे आकार के पृष्ठ के मामले में, वास्तविक लागत अथवा प्रति पृष्ठ 20/– रू0 जो भी अधिक हो ।
4	जहां सूचना इलैक्ट्रनिक के रूप में उपलब्ध हो और इलैक्ट्रनिक रूप यथा फ्लॉपी, सीडी आदि के रूप में प्रदान की जानी हो	50/–रू0 प्रति फ्लॉपी 100/–रू0 प्रति सीडी
5	रिकार्ड/दस्तावेज के निरीक्षण हेतु	20/– रू0 प्रति 30 मिनट या उसके अंश के लिए

(vi) निर्धारित शुल्क की अदायगी डिमांड ड्राफ्ट या इण्डियन पोस्टल आर्डर द्वारा सम्बन्धित सरकारी प्रधिकरण को की जा सकती है अथवा 0070– ओ0ए0एस0, 60 –ओ0एस, 118– ओ0 आर0 01–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्तियां लेखा शीर्ष में सरकारी खजाने में जमा करवाया जा सकता है ।

10 हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के तहत नामित अपीलीय अधिकारी तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में अपील दायर करने की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है । इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार अपील के ज्ञापन में अपीलकर्ता का नाम व पता, उस जन सूचना अधिकारी का नाम व पता जिसके निर्णय के विरूद्ध अपील की जा रही हो तथा आदेश का विवरण जिसके विरूद्ध अपील की जा रही हो, दिया जाना होगा। अपीलकर्ता को अपील की दो प्रतियां दायर करनी होगी । अपील ज्ञापन में अपील के सम्बन्ध मे संक्षेप में तथ्य दिए जाने होगें। आवेदन का जवाब न मिलने की स्थिति में आवेदन का विवरण, संख्या व तिथि, राज्य जन सूचना अधिकारी का नाम व पता जिसे आवेदन दिया गया था का उल्लेख अपीलकर्ता द्वारा किया जाना होगा । अपीलकर्ता अपनी याचना अथवा राहत का उल्लेख तथा याचना व राहत के आधार भी अपील ज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख करेगा।

11 हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के नियम 6(5) के तहत नामित अपीलीय अधिकारी या हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग को यह भी शक्ति होगी कि यदि सुनवाई की तिथि पर अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप में उपस्थित नहीं होता है तो वे गुणदोष के आधार पर अपील पर निर्णय दे सकतें हैं । अपीलकर्ता किसी ऐसे आधार पर न तो कोई आपत्ति उठाएगा और न ही उसकी आपत्ति सुनी जाएगी, जिसका उल्लेख उस

द्वारा अपील अधिकारी/आयोग को प्रस्तुत अपील ज्ञापन में न किया गया हो । तथापि नामित अपील अधिकारी/ आयोग को अपील पर निर्णय लेते समय उन्हीं आधारों तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं जिनका उल्लेख अपील में किया गया हो ।

12 हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के तहत राज्य सूचना आयोग को अपनी दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही के सम्बन्ध मे विनियम बनाने की शक्तियां भी प्रदत्त है। परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग (प्रबन्धन) विनियम, 2008 बनाए गए है जो 1 सितम्बर, 2008 से लागू हो गए थे ।

13 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (4) के अधीन प्रदेश सूचना आयोग को अधिकृत किया गया है कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन पर प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट तैयार करे तथा राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए सरकार को अग्रेषित करें। इस उपबन्ध का अनुसरण करते हुए वर्ष 2020–21 के दौरान हिमाचल प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन की सोलहवीं रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के समक्ष रखने के लिए हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग द्वारा तैयार की गई है।

अध्याय–2

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा 4 फरवरी, 2006 की अधिसूचना द्वारा किया गया। आयोग ने शिमला स्थित मुख्यालय में 1 मार्च 2006 को श्री पी0 एस0 राणा के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण करने के पश्चात कार्य करना आरम्भ किया। सचिवालय प्रशासन ने 1 मार्च 2006 से आयोग को सचिवीय स्टाफ और अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं । आयोग ने एक सदस्यीय निकाय के रूप में 1 जुलाई, 2007 तक कार्य किया और तद्पश्चात श्री एस.एस.परमार ने 2 जुलाई, 2007 को राज्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण किया। निवर्तमान व वर्तमान राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों एवं राज्य सूचना आयुक्तों का विवरण निम्न प्रकार से है :

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त			
क्रम संख्या	**नाम**	**नियुक्ति की तिथि**	**सेवानिवृति की तिथि**
1.	श्री प्रेम सिंह राणा भा0प्र0से0 (रि0)	01.03.2006	28.02.2011
2.	श्री भीम सेन भा0प्र0से0 (रि0)	25.03.2011	23.03.2016
3.	श्री नरेन्द्र चौहान भा0प्र0से0 (रि0)	30.06.2017	-----
राज्य सूचना आयुक्त			
1.	श्री सुरजीत सिंह परमार भा0प्र0से0 (रि0)	02.07.2007	05.06.2012
2.	श्री काली दास बातिश	08.06.2012	07.06.2017
3.	श्री सुशील चंद्र श्रीवास्तव भा0व0से0 (रि0)	30.06.2017	23.07.2020

2 आयोग को वित्त वर्ष 2020–21 में मु0 2,22,41,034/- का बजट शीर्ष 2070–00–118–01–SOON(NP) के अन्तर्गत खर्चों को पूरा करने के लिए प्रदान किया गया । स्वीकृत बजट का विवरण निम्न प्रकार से है :–

लेखा शीर्ष	उपशीर्ष	बजट	व्यय
01	वेतन	12500000	11853902
02	दिहाडी वेतन (Wages)	184000	183250
03	यात्रा व्यय	32000	6528
05	कार्यालय व्यय	1559000	1528048
06	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	221000	188387
07	किराया, दर एवं उपकर	4683000	4633600
09	विज्ञापन व प्रचार	21034	21034
10	आतिथ्य/सत्कार	80000	75517
12	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	70000	28000
20	अन्य प्रभार	460000	456330
30	मोटर वाहन	756000	709191
65	आउटसोर्स कर्मचारी वेतन	1675000	1666449
	कुल	**22241034**	**21350236**

3 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के उद्धेश्य से राज्य सरकार द्वारा 35 पद सृजित किए गए । इन पदों का विवरण इस प्रकार हैं :–

क्रमांक	पदनाम	पद का वेतनमान	सृजित पदों की संख्या
1	मुख्य सूचना आयुक्त	2,50,000/–	1
2	राज्य सूचना आयुक्त	2,25,000/–	1
3	सचिव (एच0ए0एस0/आई0ए0एस0)	अपने वेतनमान में	1
4	अनुभाग अधिकारी	15600–39100 + रू0 5400	1
5	निजी सचिव	15600–39100 + रू0 5400	2
6	रीडर कम एहलमद	15600–39100 + रू0 5400	2
7	सिस्टम एनालिस्ट	15600–39100 + रू0 5400	1
8	निजी सहायक	10300–34800 + रू0 4800	4
9	वरिष्ठ सहायक	10300–34800 + रू0 4400	2
10	लिपिक	10300–34800+ रू0 3200	2
11	लिपिक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर	10300–34800+ रू0 3200	2
12	कनिष्ठ वेतनमान स्टेनोग्राफर	5910–20200 + रू0 2800	4
13	चालक	5910–20200 + रू0 2000	3
14	प्रौसेस सर्वर	4900–10680 + रू0 1400	1
15	चौकीदार	4900–10680 + रू0 1300	1

16	सेवादार	4900–10680 + रू0 1300	5
17	फ्राश कम माली	4900–10680 + रू0 1300	1
18	सफाई कर्मचारी	4900–10680 + रू0 1300	1
	कुल		**35**

4. राज्य सूचना आयोग की शक्तियाँ और कार्य निम्न प्रकार है :–

I. अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत जांच

(i) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सूचना आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जाँच करें–

क जो, यथास्थिति, किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है या उसके आवेदन को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है।

ख जिसे इस अधिनियम के अधीन जानकारी देने से इन्कार कर दिया गया है,

ग जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिदिष्ट समय– सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुँच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है,

ध जिससे ऐसी फीस की अदायगी की मांग की गई है, जो वह अनुचित समझता है,

ङ जो यह विश्वास करता है कि उसे अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है, और

च इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुँच प्राप्त करने के लिए संबधित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में।

(ii) राज्य सूचना आयोग को इस धारा के अधीन किसी मामले में जाँच करते समय वही शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थातः–

क व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना,

ख दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना,

ग शपथ पत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना,

घ किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियाँ मंगाना,

ङ साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना, और

च इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी निर्धारित मामले

(iii) आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जाँच करने के दौरान ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा जिस पर यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा।

II. अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत अपीलें:

(i) प्रथम अपीलीय अधिकारी के विनिश्य के विरूद्ध दूसरी अपील नब्बे दिन के भीतर राज्य सूचना आयोग को होगी, परन्तु राज्य लोक सूचना आयोग 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका निर्णय हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(ii) यदि विनिश्य, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, तीसरी पार्टी की सूचना से संबंधित है तो राज्य सूचना आयोग उस तीसरी पार्टी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(iii) अपील सम्बन्धी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, लोक सूचना अधिकारी पर जिसने अनुरोध से इन्कार किया था, होगा।

(iv) राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा।

(v) राज्य सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में यह भी शक्तियां प्रदान की गई है कि वह सार्वजनिक प्राधिकरणों से अपने निर्णयों की अनुपालना करवाए । शिकायतकर्ता / अपीलकर्ता का मुआवजा दिलवाने की शक्ति का भी प्रावधान है।

III. अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत शक्ति :

(i) जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने से इन्कार किया है या सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इन्कार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, 250 रुपये का जुर्माना अधिरोपित करेगा, तथापि ऐसे जुर्माने की कुल रकम 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

(ii) जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार

सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इन्कार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया हे जो अनुरोध का विषय थी या किसी सूचना देने में बाधा डाली है वहाँ वह ऐसे लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा।

5 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां तथा कार्य निम्नलिखित है :–

क्रम संख्या	पदनाम	शक्तियां एवं कार्य
1	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयोग के कार्यों/गतिविधियों की सामान्य देख–रेख, निर्देशन एवं प्रबन्धन/अपीलों और शिकायतों का निपटान ।
2	राज्य सूचना आयुक्त	अपीलों तथा शिकायतों का संज्ञान तथा उनका निपटान
3	सचिव एवं पंजीयक	आयोग का प्रशासनिक प्रबन्धन, वित्तीय नियन्त्रण तथा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त की कार्य निपटान में सहायता करना।
4	निजी सचिव राज्य प्रमुख सूचना आयुक्त/ राज्य सूचना आयुक्त	सचिवालय सहायता तथा मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त द्वारा प्रदत्त कार्यों का निपटान।
5	रीडर कम एहलमद	आयोग में प्राप्त अपीलों और शिकायतों को प्रक्रिया में लाना तथा मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त द्वारा प्रदत्त कार्य करना।
6	अनुभाग अधिकारी एवं सहायक पंजीयक	आयोग के प्रशासनिक, वित्तीय तथा अन्य कार्यों के निपटान में सचिव एवं पंजीयक की सहायता करना।
7	अधीनस्थ कर्मचारी	आयोग के अधिकारियों की सहायता करना तथा निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रदत्त कार्य करना।

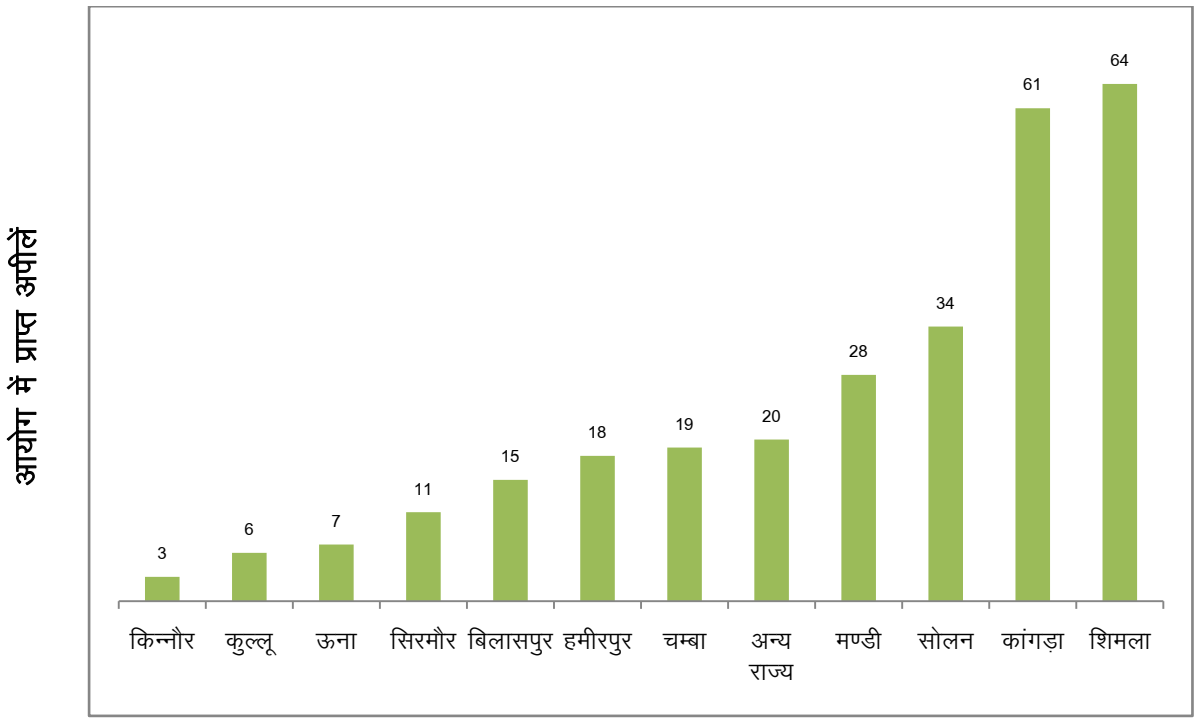
अध्याय–3

अधिनियम का कार्यान्वयन

(वर्ष 2020–21 के दौरान हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग द्वारा अपीलों तथा शिकायतों का निपटान)

वर्ष 2020–21 में हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग में 11 जिलों के लोगों तथा राज्य के बाहर से विभिन्न अपीलार्थियों से 286 अपीलें जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों के विरूद्ध प्राप्त हुई थीं। जिसमें से 159 अपीलें 3 जिलों शिमला, कांगड़ा और सोलन के लोगों द्वारा दायर की गई थी बाकि 127 अपीलें अन्य जिलों के लोगों तथा राज्य के बाहर के लोगों से प्राप्त की गई थी। वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त 286 अपीलों के अलावा, 189 अपीलें 01.04.2020 को लम्बित पड़ी थीं। आयोग द्वारा प्राप्त अपीलों की जिलावार स्थिति निम्न प्रकार से दर्शायी गई है :–

आयोग में प्राप्त अपीलों का जिलावार विवरण :–



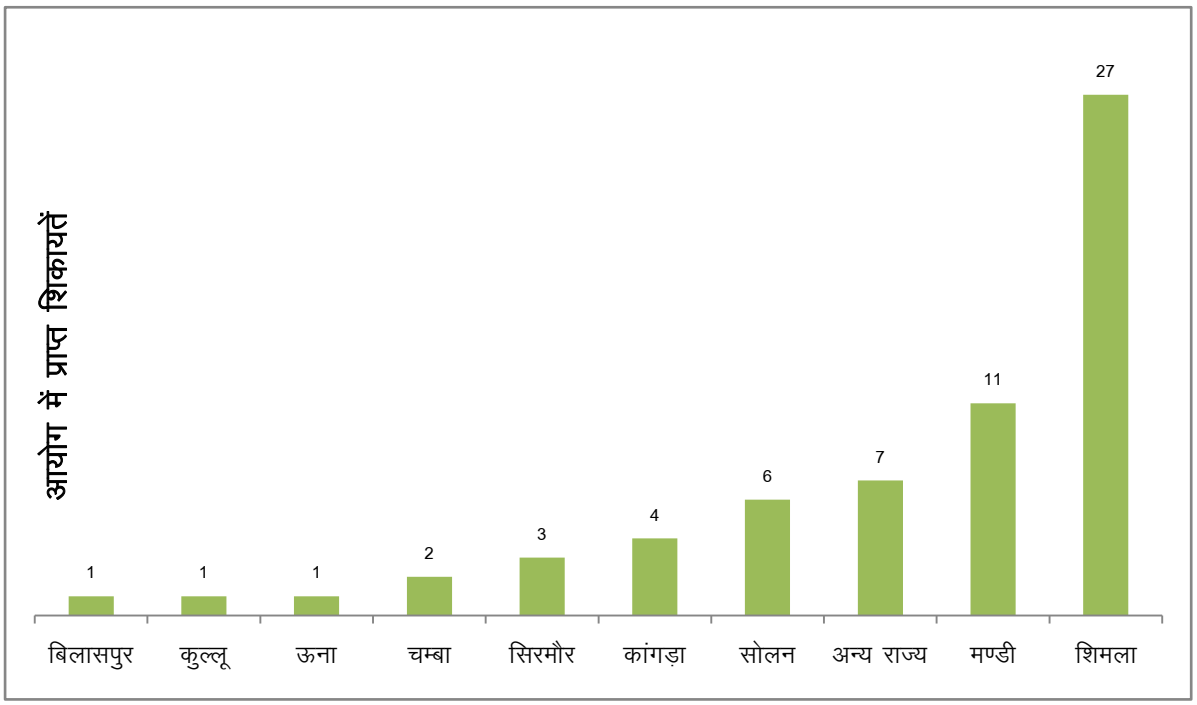
2. कुल 475 अपीलों में से, वर्ष के दौरान 193 अपीलों पर निर्णय दिए गए तथा 282 अपीलें 31.03.2021 को निर्णय हेतु लम्बित रही। निर्णित/लम्बित अपीलों का ब्यौरा निम्न सारणी में दिया गया है :–

(i) वर्ष के दौरान प्राप्त अपीलों का ब्यौरा

(क)	01.04.2020 को लम्बित अपीलें	189
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त अपीलें	286
(ग)	वर्ष के दौरान निर्णित अपीलें	193
(घ)	31.03.2020 को लम्बित अपीलें	282

3. वर्ष 2020–21 के दौरान 286 अपीलों के अलावा 63 शिकायतें अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में प्राप्त हुईं। ये शिकायतें प्रदेश के 9 जिलों तथा प्रदेश के बाहर से प्राप्त हुई। इन में से 44 शिकायतें (70 प्रतिशत से अधिक शिकायतें) शिमला, मण्डी और सोलन जिला के शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई थी। आयोग में प्राप्त शिकायतों का जिलावार वर्ष 2020–21 का ब्यौरा निम्न चार्ट पर दर्शाया गया है।

आयोग में प्राप्त शिकायतों का जिलावार ब्यौरा :–



4. वर्ष के दौरान प्राप्त 63 शिकायतों के अलावा 4 शिकायतें 01.04.2020 को लम्बित थीं। कुल 67 शिकायतों में से 44 शिकायतें वर्ष के दौरान निर्णित की गई तथा 23

शिकायतें 31.03.2021 को निपटान हेतु लम्बित रहीं। प्राप्त निर्णित तथा लम्बित पड़ी शिकायतों का अवधिवार ब्यौरा निम्नलिखित है :–

(i) वर्ष के दौरान प्राप्त तथा निर्णित शिकायतें

(क) 01.04.2020 की लम्बित शिकायतें 4

(ख) वर्ष 2020–21 में प्राप्त शिकायतें 63

(ग) वर्ष के दौरान निर्णित शिकायतें 44

(घ) दिनांक 31.03.2021 को लम्बित शिकायतें 23

5. हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वर्ष 2020–21 रिपोर्ट के तहत समेकित मामलों का विवरण

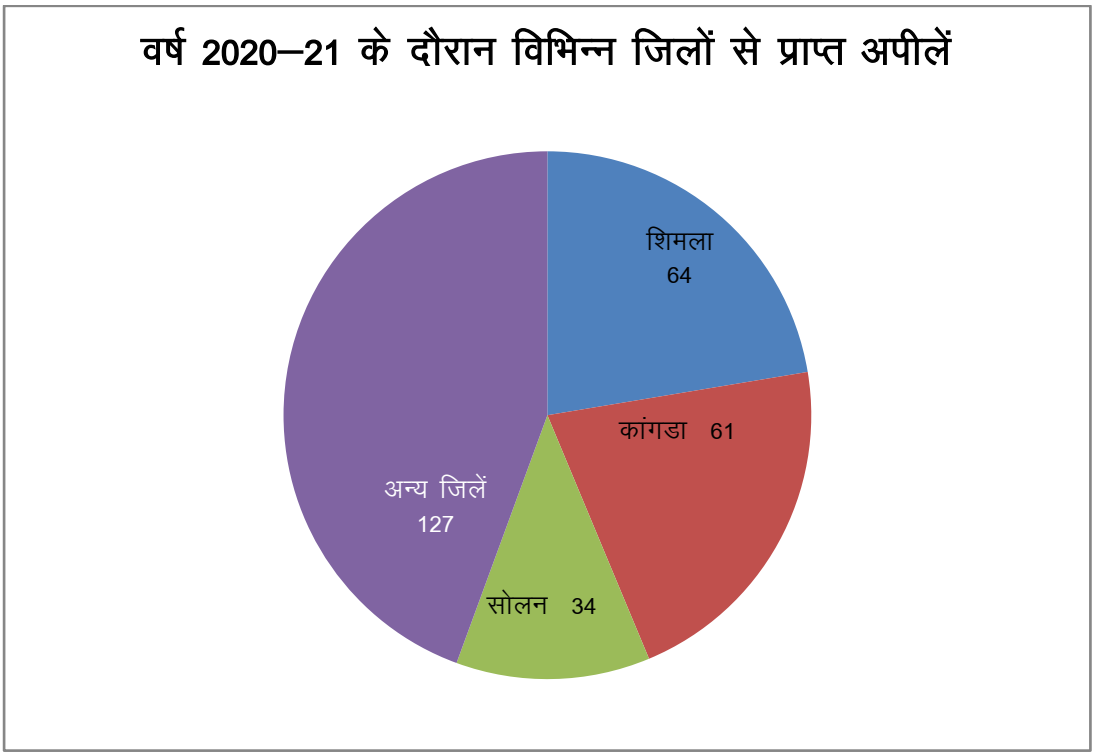
	अपीलें	**शिकायतें**	**कुल**
1.4.2020 को लम्बित	189	4	193
वर्ष के दौरान दायर	286	63	349
कुल	475	67	542
निर्णित	193	44	237
31.3.2020 को लम्बित	282	23	305

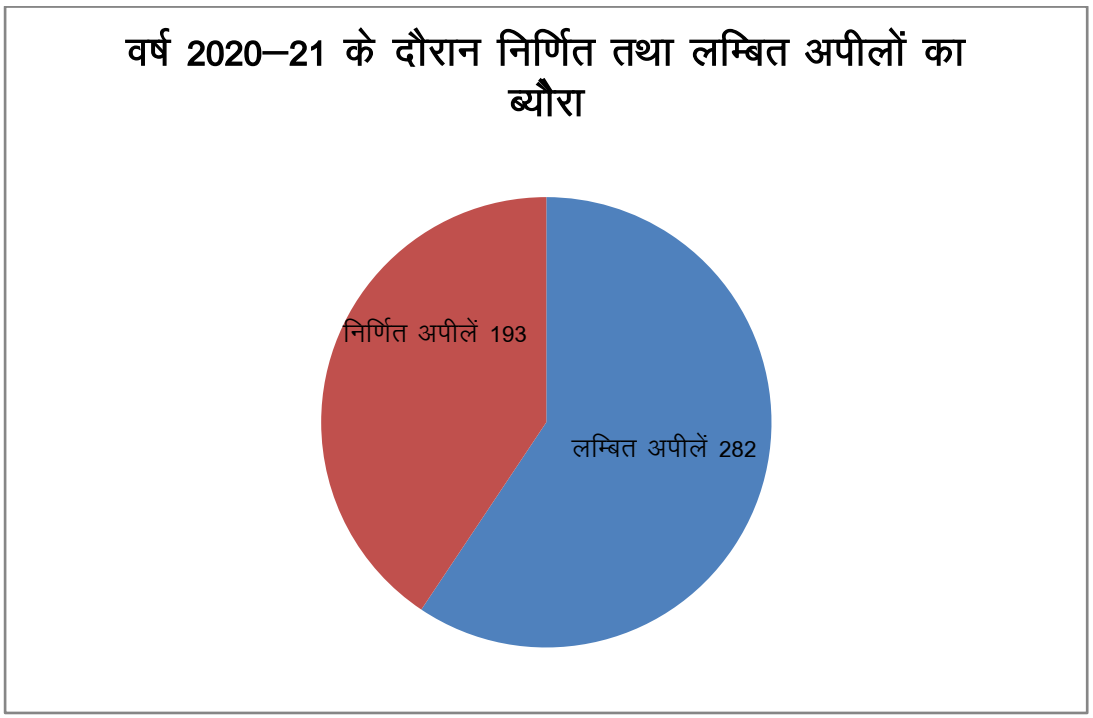
अध्याय–4

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग : 2020–21 महत्वपूर्ण आकड़ों की एक झलक

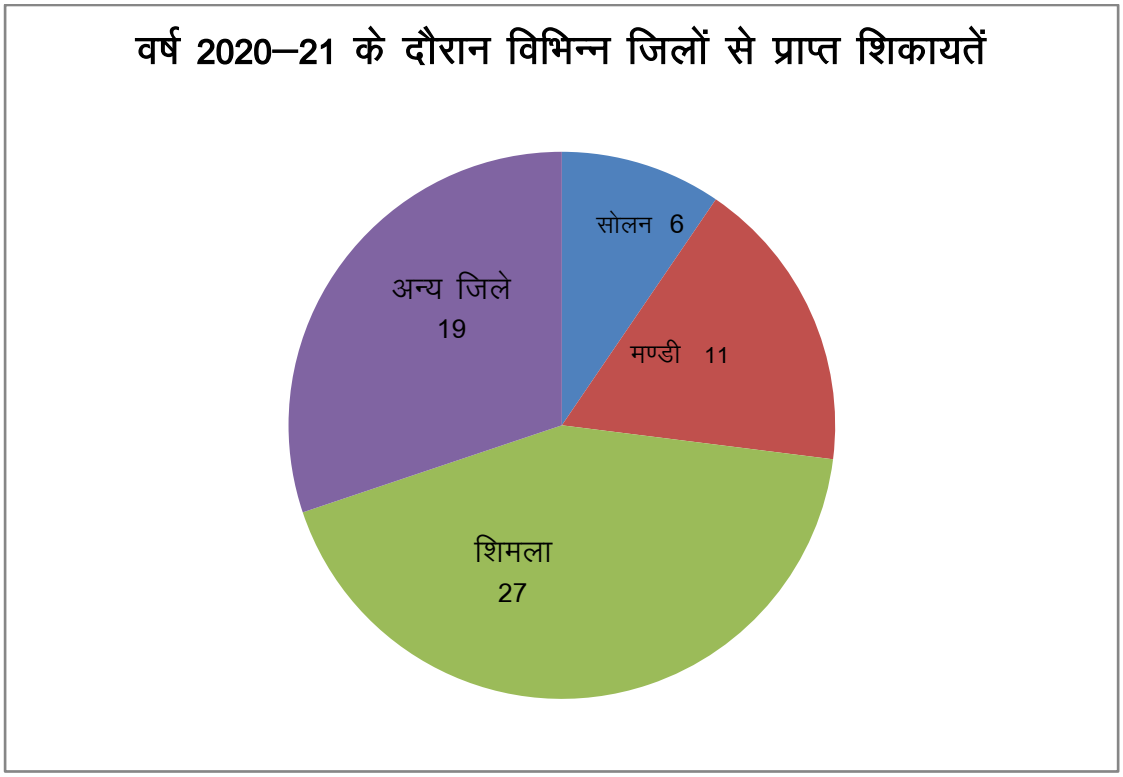
(क)	सार्वजनिक प्राधिकरणों की संख्या, जिन्होंने राज्य सूचना आयोग को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की	112
(ख)	1.4.2020 से 31.3.2021 तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा दायर किए गए आवेदनों की संख्या	53325
(ग)	सार्वजनिक प्राधिकरणों के सार्वजनिक सूचना अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या	1218
(घ)	जन सूचना अधिकारियों द्वारा एकत्रित शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क की कुल राशि	1434017
(ङ)	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत वर्ष के दौरान प्रथम अपीलों की दायर करने की संख्या	2215
(च)	(i) वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपीलों की दायर करने की संख्या	286
	(ii) दिनांक 1.4.2020 को आयोग में लम्बित अपीलें	189
	(iii) कुल अपीलें	475
	(iv) वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्णीत द्वितीय अपीलों की संख्या	193
(छ)	(i) वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अन्तर्गत दायर की गई शिकायतों की संख्या	63
	(ii) दिनांक 1.4.2020 को आयोग में लम्बित शिकायतें	4
	(iii) कुल शिकायतें	67
	(iv) वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्णित शिकायतों की संख्या	44

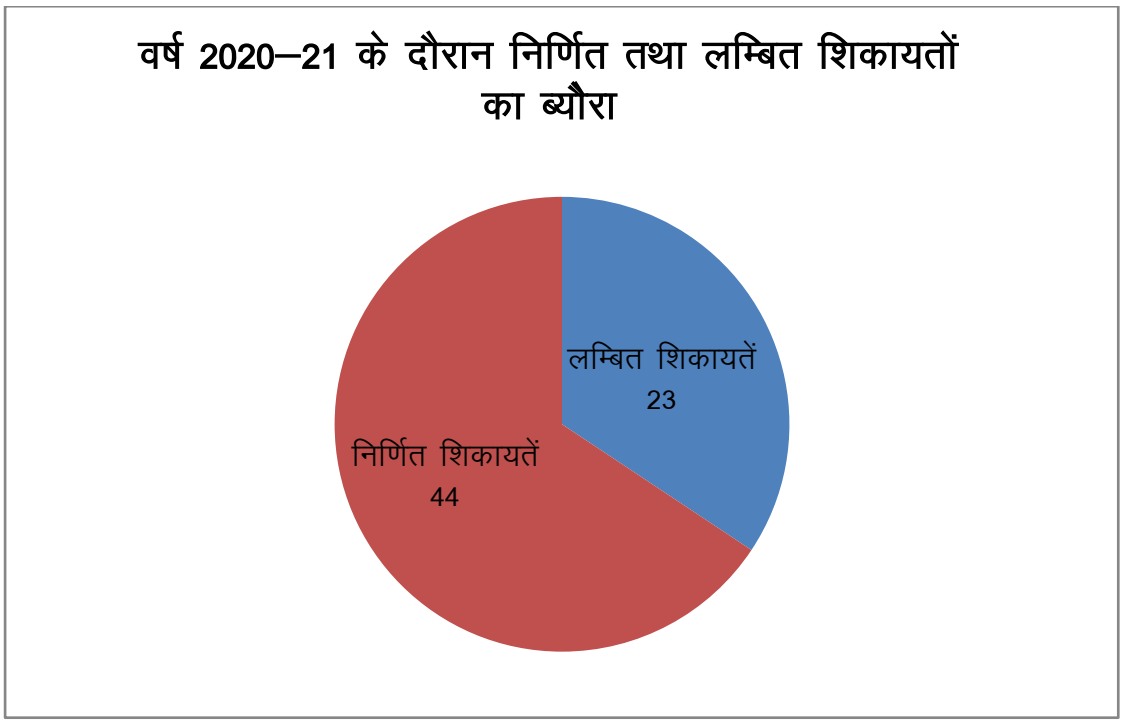
राज्य सूचना आयोग में वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त, निर्णित तथा लम्बित अपीलों का ब्यौरा





राज्य सूचना आयोग में वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त, निर्णित तथा लम्बित शिकायतों का ब्यौरा





अध्याय–5

सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

(हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों/ प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा आवेदनों/अपीलों का निपटान)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6, 7 व 11 के उपबन्धों के अनुसार सरकारी प्राधिकरणों से यह अपेक्षा रहेगी कि वे इस उद्धेश्य के लिए नामित जन सूचना अधिकारी के माध्यम से जन साधारण को उनके द्वारा मांगी गई सूचना निर्धारित अवधि में उपलब्ध करवायें। आयोग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 112 सार्वजनिक प्राधिकरणों को 53325 आवेदन इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त हुए थे। विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त किए/रदद किए आवेदनों/दायर अपीलों/प्राप्त शुल्क का विवरण

क्रमांक	सरकारी विभाग का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जितने मामले जन सूचना अधिकारियों द्वारा रदद किए गए	प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास दायर अपीलें	राज्य सूचना आयोग के पास दायर अपीलें	ऐसे मामले जहां आयोग द्वारा क्षतिपूर्ति के आदेश दिए	ऐसे मामले जहां आयोग द्वारा जुर्माने के आदेश दिए	प्राप्त राशी रूपये
1.	राज्यपाल सचिवालय	17	----	----	----	----	----	550
2.	हि0प्र0 न्यायालय	832	1	12	----	----	----	30870
3.	राज्य सूचना आयोग	29	----	5	1	----	----	526
4.	लोकायुक्त	15		13	1	----	----	210
5.	मानवाधिकार आयोग	2	----	----	----	----	----	20
6.	विद्युत नियामक आयोग	16	----	----	----	----	----	280
7.	पिछड़ी जाति आयोग	8	----	----	----	----	----	1170

8.	मण्डलायुक्त, शिमला	31	----	2	1	----	----	815
9.	मण्डलायुक्त, कांगडा	72	----	2	----	----	----	2660
10.	मण्डलायुक्त ,मण्डी	61	----	---	1	----	----	3652
11.	महाधिवक्ता	34	----	1	----	----	----	1370
12.	हि0 प्र0 न्यायिक अकादमी	1	----	----	----	----	----	104
13.	निर्वाचन आयोग	35	----	----	----	----	----	340
14.	लोक सेवा आयोग	493	----	13	1	----	----	160004
15.	हि0 प्र0 कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर	339	60	14	----	----	----	10089
प्रशासनिक विभाग हि0प्र0 सचिवालय								
16.	सामान्य प्रशासन	12	----	----	----	----	----	465
17.	शहरी निकाय	43	----	----	----	----	----	660
18.	राजस्व	269	36	1	1	----	----	12524
19.	वन	46	----	4	1	----	----	2207
20.	सहकारिता	12	----	----	----	----	----	450
21.	कल्याण	5	----	----	----	----	----	0
22.	विधि	18	1	1	1	----	----	1135
23.	प्रशासनिक सुधार	7	----	----	----	----	----	50
24.	आयुर्वेदा	29	----	----	----	----	----	650
25.	श्रम एवं रोजगार	26	13	13	2	----	----	3110
26.	पशुपालन	33	----	----	----	----	----	2860
27.	शिक्षा	39	----	----	1	----	----	750
28.	आवास	2	----	----	----	----	----	60
29.	परिवहन	22	----	1	1	----	----	405
निदेशालय								
30.	पशुपालन	432	----	8	1	----	----	26107

31.	भाषा, कला एवं संस्कृति	20	----	-----	3	----	----	1100
32.	सहकारिता	585	41	12	12	----	----	23364
33.	प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय	2383	----	81	5	----	----	27711
34.	उच्च शिक्षा निदेशालय	3017	25	90	20	----	----	33406
35.	आयुर्वेदा	119	-----	4	1	----	----	2740
36.	सूचना एवं जन सम्पर्क	81	6	----	----	----	----	2560
37.	सम्पदा	7	----	----	----	----	----	132
38.	जल शक्ति	2583	336	105	14	1		106386
39.	लोक निर्माण	3650	515	113	16	----	1	118768
40.	सूचना प्रौद्योगिकी	15	-----	3	----	----	----	510
41.	दन्त स्वास्थ्य सेवाएं	8	----	----	----	----	----	300
42.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	384	-----	12	4	----	----	8524
43.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	342	5	8	1	----	----	9269
44.	वन	2577	15	67	12	----	----	56894
45.	राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला	86	----	1	1	----	----	2927
46.	पुलिस	5756	74	123	11	----	----	142921
47.	परिवहन	601	----	10	----	----	----	25645
48.	बागवानी	145	----	8	3	----	----	5270
49.	उद्योग	412	----	16	1	----	----	16663
50.	आबकारी एवं कराधान	376	10	24	----	----	----	10210
51.	सैनिक कल्याण	140	1	7	----	----	----	3124
52.	सतर्कता	16	----	1	----	----	----	650
53.	राज्य अन्वेषण एवं भ्रष्टाचार निरोधक	159	13	4	----	----	----	3685
54.	सांख्यिकी एवं आर्थिक	10	----	----	----	----	----	180
55.	भू समेकन	8	----	----	----	----	----	80

56.	भू अभिलेख	131	----	----	----	----	----	3450
57.	श्रम एवं रोजगार	345	---	9	----	----	----	16147
58.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	6994	12	466	57	1	3	88016
59.	भू व्यवस्था (शिमला)	186	----	4	----	----	----	5118
60.	भू व्यवस्था (कांगडा)	500	----	14	1	----	----	16869
61.	मुद्रण एवं लेखन	5	----	1	----	----	----	260
62.	सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता	191	----	9	----	----	----	4043
63.	पर्यटन एवं नागरिक उडडयन	152	----		2	----	----	5174
64.	लोक प्रशासन संस्थान	34	----	1	----	----	----	2397
65.	महिला एवं बाल विकास	421	3	12	1	----	----	10528
66.	अग्निशमन	9	----	----	----	----	----	170
67.	शहरी विकास	2199	----	229	15	----	----	45422
68.	योजना	79	----	1	----	----	----	1985
69.	विद्युत निरीक्षणालय	6	----	----	----	----	----	120
70.	मत्सय	32	----	----	----	----	----	957
71.	निर्वाचन	92	----	----	----	----	----	4567
72.	लोकल ऑडिट	6	----	----	----	----	----	650
73.	गृह रक्षा	86	1	4	----	----	----	2709
74.	तकनीकी शिक्षा	220	----	7	----	----	----	9150
75.	ऊर्जा	36	----	2	----	----	----	2362
जिलाधीश कार्यालय								
76.	बिलासपुर	1218	----	24	6	----	----	24849
77.	चम्बा	699	----	9	5	----	----	12425
78.	हमीरपुर	1208	----	53	6	----	----	27864
79.	कांगडा	2582	----	53	10	1	----	37635

80.	किन्नौर	145	----	----	----	----	----	3658
81.	कुल्लू	715	----	11	5	----	----	13853
82.	मण्डी	1860	10	43	8	----	----	30429
83.	शिमला	1185		56	11	----	----	30342
84.	सिरमौर	348	19	32	5	----	----	8761
85.	सोलन	1025	----	142	4	----	----	27712
86.	ऊना	730	----	23	3	----	----	12631
87.	लाहौल एवं स्पिति	58	----	----	----	----	----	783
				निगम				
88.	वित्त निगम	8	----	1	----	----	----	500
89.	वन निगम	276	----	35	----	----	----	13364
90.	एच0पी0एम0सी0	14	----	----	----	----	----	440
91.	हि0 प्र0 इलैक्ट्रोनिक विकास निगम	2	----	----	----	----	----	150
92.	नगर निगम शिमला	538	----	52	13	----	----	16856
93.	नगर निगम धर्मशाला	147	----	32	4	----	----	2408
94.	सामान्य उद्योग	13	----	----	----	----	----	900
95.	हि0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम	14	----	----	----	----	----	1442
96.	जल प्रबन्धन निगम	121	----	6	1	----	----	704
97.	हि0प्र0 पथ परिवहन निगम	341	----	10	7	----	----	
98.	पावर संचरण कारपोरेशन	42	----	----	----	----	----	1670
99.	हि0प्र0 सडक अधोसंरचना विकास निगम	2	----	----	----	----	----	120
100.	हि0प्र0 अल्पसंख्यक वित एवं विकास निगम	5	----	----	----	----	----	120
101.	पावर कारपोरेशन	66	3	3	----	----	----	4566
102.	कौशल विकास निगम	4	----	----	----	----	----	----

बोर्ड								
103.	अधोसंरचना विकास विभाग	2	----	----	----	----	----	20
104.	हिमुडा	422	----	28	----	----	----	21511
105.	तकनीकी शिक्षा बोर्ड	17	2	----	----	----	----	1250
106.	हिम ऊर्जा	79	----	1	----	----	----	4910
107.	खादी एवं ग्रामोद्योग	18	----	1	----	----	----	1496
विश्वविद्यालय								
108.	हि0प्र0 विश्वविद्यालय शिमला	971	12	20	2			32780
109.	डा0 यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	65	4	39	----	----	----	2783
110.	कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	120	----	4	----	----	----	5925
111.	तकनीकि विश्वविद्यालय	18	----	4	----	----	----	340
112.	इदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय	63	----	----	----	----	----	1614
	कुल	**53325**	**1218**	**2215**	**286**	**3**	**4**	**1434017**

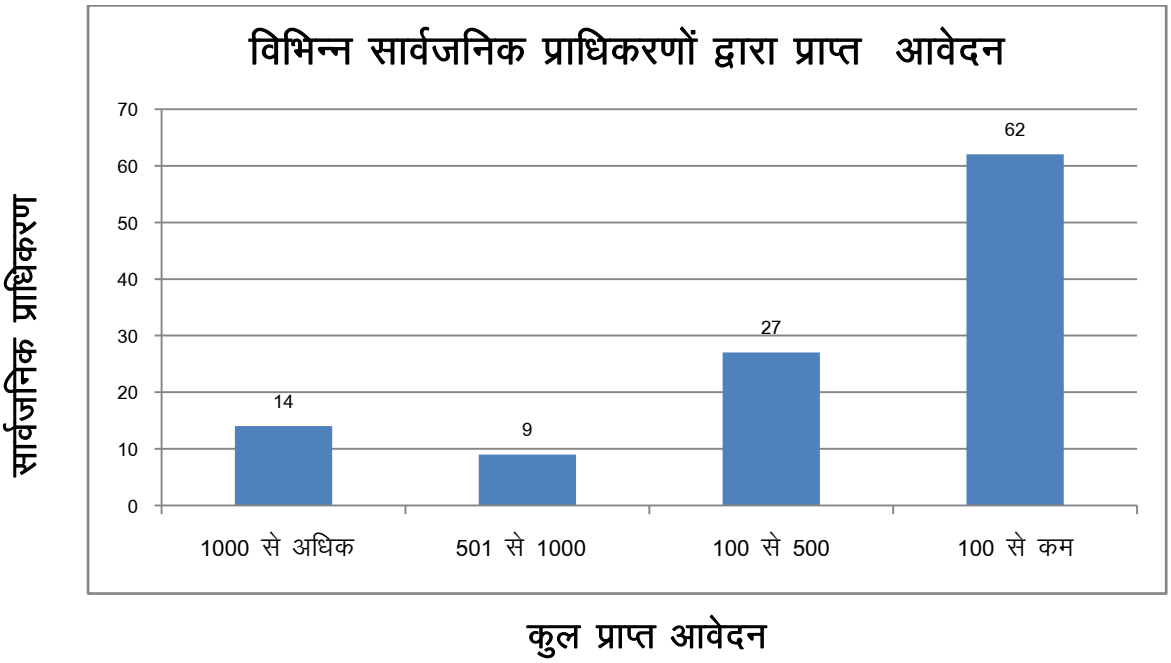
2 उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि अस्वीकृत किए गए 1218 मामलों के अलावा विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों द्वारा सभी आवेदकों को अपेक्षित सूचना भेज दी गई है। इस प्रकार राज्य में कुल आवेदनों के 2.3 प्रतिशत मामले ही रिपोर्ट के अनुसार अस्वीकृत किए गए।

3. सार्वजनिक प्राधिकरणों ने यह भी उल्लेख किया है कि 1218 आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के अधीन अस्वीकृत किए गए है। इस अध्याय का विवरण यह दर्शाता है कि प्रथम अपीलों की संख्या कुल आवेदनों के 4.2 प्रतिशत से भी कम रही। नामित अपीलीय प्राधिकारियों के पास दायर कुल 2215 प्रथम अपीलों के विरूद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग को मात्र 286 अपीलें प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान जन सूचना अधिकारियों से सूचना प्राप्त न होने या विलम्ब से प्रत्युत्तर मिलने सम्बन्धी 63 शिकायतें भी आयोग को प्राप्त हुई। इस प्रकार वर्ष के दौरान विभिन्न जन प्राधिकारियों के पास दायर कुल 53325 सूचना का अधिकार आवेदनों के विरूद्ध कुल 349

अपीलें/शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई है। इस प्रकार आयोग में कुल आवेदनों की लगभग 0.7 प्रतिशत अपीलें/शिकायतें प्राप्त हुई । इन आंकडों से स्पष्ट होता है कि रिपोर्टाधीन वर्ष 2020–21 के दौरान सूचना मांगने वालों के आवेदनों पर राज्य के जन सूचना अधिकारियों की कार्रवाई संतोषजनक रही है।

4 वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त आवेदनों की विवरण सारणी निम्न है :–

(i)	सार्वजनिक प्राधिकरणों की संख्या जिन्हें 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए	14
(ii)	सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 501 से 1000 तक आवेदन प्राप्त हुए	9
(iii)	सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 101 से 500 तक आवेदन प्राप्त हुए आवेदन प्राप्त हुए	27
(iv)	सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 100 से कम आवेदन प्राप्त हुए	62
सार्वजनिक प्राधिकरणों की कुल संख्या जिन्हें आवेदन प्राप्त हुए		**112**



5. कुल 112 सार्वजनिक प्राधिकरणों में से 14 सार्वजनिक प्राधिकरणों को 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, 9 सार्वजनिक प्राधिकरणों को (प्रत्येक को) 501 से 1000 तक आवेदन प्राप्त हुए, 27 सार्वजनिक प्राधिकरणों (प्रत्येक को) 101 से 500 आवेदन प्राप्त हुए तथा शेष 62 सार्वजनिक प्राधिकरणों को इस वर्ष के दौरान (प्रत्येक को) 100 से कम आवेदन प्राप्त हुए। इस वर्ष के दौरान 14 विभागों में जोकि **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन, पुलिस, ग्रामीण विकास एवं**

पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग, उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मण्डी, शिमला, सोलन में 1000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त किए गए । यह पाया गया कि 53325 आवेदनों में से 51584 आवेदन जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का 96.7 प्रतिशत है को 50 सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त किया गया। शेष 62 सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा कुल 1741 आवेदन प्राप्त किए गए थे। इसी अवधि के दौरान विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों को 14,34,017 रूपये का शुल्क प्राप्त हुआ।

अध्याय–6

पिछले सोलह वर्षों के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, 12 अक्तूबर 2005 को लागू हुआ। सार्वजनिक प्राधिकरणों ने इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही आरम्भ कर दी थी जैसे कि जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी को नामित करना तथा धारा 4 (1)(बी) के अन्तर्गत प्रकटीकरण करना। जन सूचना अधिकारियों तथा सहायक जन सूचना अधिकारियों ने सूचना आयोग जिसका गठन 1.3.2006 को हुआ था से पहले ही आवेदकों का आवेदन प्राप्त करना आरम्भ कर दिया था । सार्वजनिक प्राधिकरणों में अक्तूबर 2005 से 2020–21 तक प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदन, प्रथम अपीलें तथा प्राप्त फीस का विवरण:

वर्ष	सार्वजनिक प्राधिकरणों की संख्या	कुल प्राप्त आवेदकों की संख्या	जन सूचना अधिकारी द्वारा रदद् किए गए आवेदन	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या	प्राप्त राशि
2006-07	110	2,654	119	127	2,34,281
2007-08	118	10,105	283	267	6,00,495
2008-09	124	17,869	259	338	8,07,939
2009-10	134	43,835	442	706	10,89,504
2010-11	125	55,463	701	1220	14,32,417
2011-12	132	72,191	840	1381	19,56,046
2012-13	110	61,202	1396	1232	14,45,954
2013-14	110	63,722	1074	1716	14,98,202
2014-15	80	50675	2143	635	11,14,962
2015-16	62	46430	684	1558	10,02,958
2016-17	101	60,104	1981	1899	14,69,999
2017-18	103	59,529	3737	1623	13,60,248
2018-19	107	64,233	515	2197	19,02,362
2019-20	114	62722	1596	2017	15,44,096
2020-21	112	53325	1218	2215	1434017

2 उपरोक्त विवरण दर्शाता है कि लोगों में वर्ष प्रति वर्ष इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है। जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदनों की खारिज करने की प्रतिशतता में वर्ष प्रति वर्ष कमी आई है । जन सूचना अधिकारियों की प्रतिक्रिया भी इन वर्षों में सकारात्मक रही है ।

3 राज्य सूचना आयोग द्वारा 01.03.2006 से 31.03.2021 तक प्राप्त अपीलों का विवरण निम्नलिखित है :–

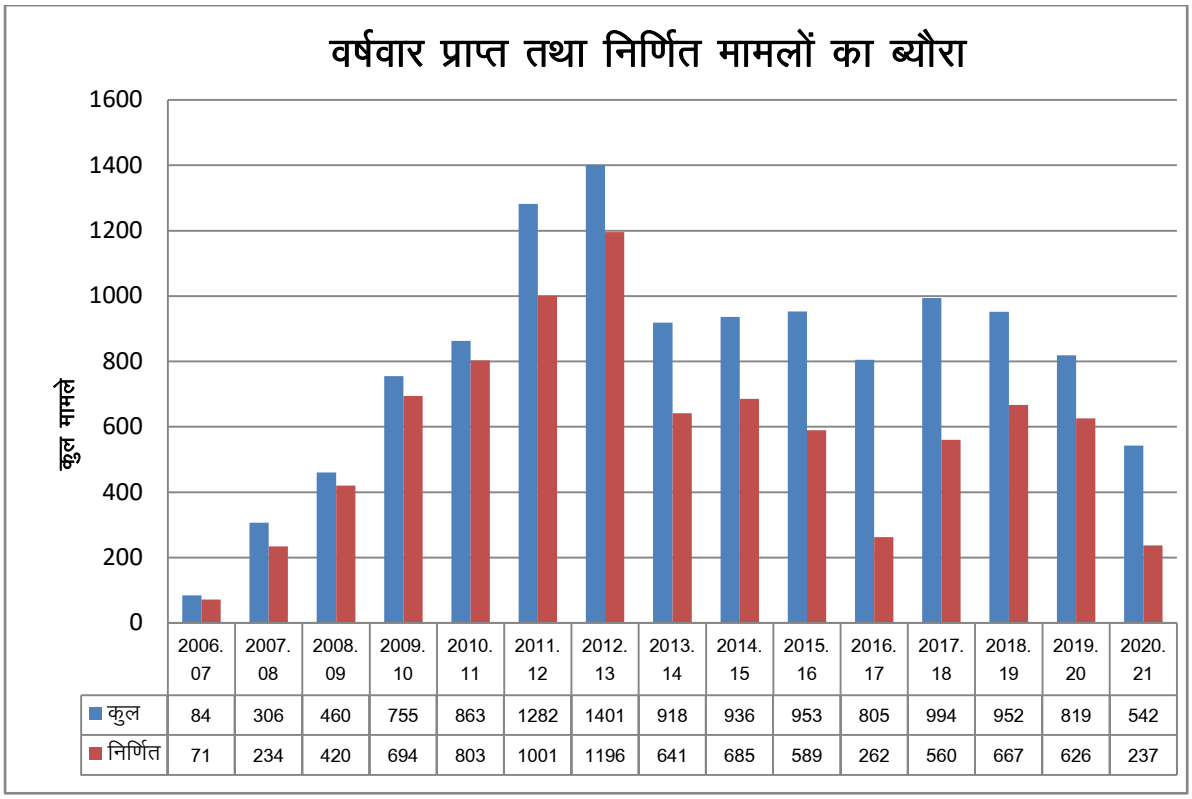
कुल प्राप्त तथा निर्णित अपीलें 01.03.2006 से 31.03.2021 तक					
अवधि	**वर्ष के आरम्भ में लम्बित**	**वर्ष के दौरान प्राप्त**	**कुल अपीलें**	**वर्ष के दौरान निर्णित**	**वर्ष के अन्त में लम्बित**
1.3.2006 से 31.3.2007	----	32	32	24	8
1.4.2007 से 31.3.2008	8	155	163	125	38
1.4.2008 से 31.3.2009	38	180	218	195	23
1.4.2009 से 31.3.2010	23	270	293	276	17
1.4.2010 से 31.3.2011	17	300	317	277	40
1.4.2011 से 31.3.2012	40	451	491	379	112
1.4.2012 से 31.3.2013	112	427	539	429	110
1.4.2013 से 31.3.2014	110	670	780	522	258
1.4.2014 से 31.3.2015	258	615	873	638	235
1.4.2015 से 31.3.2016	235	635	870	534	336
1.4.2016 से 31.3.2017	336	428	764	236	528
1.4.2017 से 31.3.2018	528	425	953	537	416
1.4.2018 से 31.3.2019	416	455	871	605	266
1.4.2019 से 31.3.2020	266	476	742	553	189
1.4.2020 से 31.3.2021	189	286	475	193	282
कुल		*5805*		*5523*	

4. आयोग में प्राप्त 01.03.2006 से 31.03.2021 तक शिकायतों का विवरण निम्नलिखित है:–

कुल प्राप्त तथा निर्णित शिकायतें 01.03.2006 से 31.03.2021 तक					
अवधि	वर्ष के आरम्भ में लम्बित	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल शिकायतें	वर्ष के दौरान निर्णित	वर्ष के अन्त में लम्बित
1.3.2006 से 31.3.2007	-----	52	52	47	5
1.4.2007 से 31.3.2008	5	134	139	105	34
1.4.2008 से 31.3.2009	34	204	238	221	17
1.4.2009 से 31.3.2010	17	445	462	418	44
1.4.2010 से 31.3.2011	44	503	547	526	21
1.4.2011 से 31.3.2012	21	770	791	622	169
1.4.2012 से 31.3.2013	169	693	862	767	95
1.4.2013 से 31.3.2014	95	43	138	119	19
1.4.2014 से 31.3.2015	19	44	63	47	16
1.4.2015 से 31.3.2016	16	67	83	55	28
1.4.2016 से 31.3.2017	28	13	41	26	15
1.4.2017 से 31.3.2018	15	26	41	23	18
1.4.2018 से 31.3.2019	18	63	81	62	19
1.4.2019 से 31.3.2020	19	58	77	73	4
1.4.2020 से 31.3.2021	4	63	67	44	23
कुल		***3178***		***3155***	

5 आयोग में प्राप्त अपीलों तथा शिकायतों का 01.03.2006 से 31.03.2021 तक का विवरण निम्नलिखित हैः–

आयोग में वर्षवार प्राप्त तथा निर्णित अपीलों तथा शिकायतों का ब्यौरा					
अवधि	वर्ष के आरम्भ में लम्बित	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल	वर्ष के दौरान निर्णित	वर्ष के अन्त में लम्बित
1.3.2006 से 31.3.2007	-	84	84	71	13
1.4.2007 से 31.3.2008	13	293	306	234	72
1.4.2008 से 31.3.2009	72	388	460	420	40
1.4.2009 से 31.3.2010	40	715	755	694	61
1.4.2010 से 31.3.2011	61	803	863	803	61
1.4.2011 से 31.3.2012	61	1221	1282	1001	281
1.4.2012 से 31.3.2013	281	1120	1401	1196	205
1.4.2013 से 31.3.2014	205	713	918	641	277
1.4.2014 से 31.3.2015	277	659	936	685	251
1.4.2015 से 31.3.2016	251	702	953	589	364
1.4.2016 से 31.3.2017	364	441	805	262	543
1.4.2017 से 31.3.2018	543	451	994	560	434
1.4.2018 से 31.3.2019	434	518	952	667	285
1.4.2019 से 31.3.2020	285	534	819	626	193
1.4.2020 से 31.3.2021	193	349	542	237	305
कुल		***8991***		***8686***	



6 उपरोक्त विवरण के अनुसार वर्ष 2006–07 में कुल 84 अपीलें और शिकायतें राज्य सूचना आयोग में प्राप्त हुई जो कि कुल आवेदन पत्रों 2654 का लगभग 3.2 प्रतिशत है। वर्ष 2007–2008 के अन्तर्गत 293 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायकर्ताओं से, 10105 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं, कि अपेक्षा में प्राप्त की गई जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का 2.8 प्रतिशत है । वर्ष 2008–2009 के अन्तर्गत 388 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं से , 17869 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए है कि अपेक्षा में प्राप्त हुए हैं जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का 2 प्रतिशत है। वर्ष 2009–2010 के अन्तर्गत 715 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं से 43835 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं कि अपेक्षा में प्राप्त की गई है जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का लगभग 1.6 प्रतिशत है। वर्ष 2010–2011 के अन्तर्गत 803 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं से 55463 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं कि अपेक्षा में प्राप्त की गई है जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का लगभग 1.4 प्रतिशत है। वर्ष 2011–2012 के अन्तर्गत 1221 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं से 72191 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि

सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं कि अपेक्षा में प्राप्त की गई है जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का लगभग 1.7 प्रतिशत है। वर्ष 2012–2013 के अन्तर्गत 1120 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं से 61202 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं कि अपेक्षा में प्राप्त की गई है जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का लगभग 1.8 प्रतिशत है। वर्ष 2013–2014 के अन्तर्गत 713 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं से 63722 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं कि अपेक्षा में प्राप्त की गई है जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का लगभग 1.1 प्रतिशत है। वर्ष 2014–2015 के अन्तर्गत 659 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं से 50675 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं कि अपेक्षा में प्राप्त की गई है जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का लगभग 1.3 प्रतिशत है। वर्ष 2015–2016 के अन्तर्गत 702 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं से 46430 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं कि अपेक्षा में प्राप्त की गई है जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का लगभग 1.5 प्रतिशत है। वर्ष 2016–2017 के अन्तर्गत 441 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं से 60104 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं कि अपेक्षा में प्राप्त की गई है जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का लगभग 0.7 प्रतिशत है। वर्ष 2017–2018 के अन्तर्गत 451 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं से 59529 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं कि अपेक्षा में प्राप्त की गई है जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का लगभग 0.8 प्रतिशत है। वर्ष 2018–2019 के अन्तर्गत 518 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं से 64233 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं कि अपेक्षा में प्राप्त की गई है जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का लगभग 0.8 प्रतिशत है। वर्ष 2019–2020 के अन्तर्गत 534 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं से 62722 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं कि अपेक्षा में प्राप्त की गई है जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का लगभग 0.8 प्रतिशत है। रिपोर्ट के वर्ष के अन्तर्गत 349 अपीलें और शिकायतें अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं से 53325 सूचना का अधिकार आवेदन जोकि सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए हैं कि अपेक्षा में प्राप्त की गई है जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का

लगभग 0.7 प्रतिशत है। यह दर्शाती है कि जन सूचना अधिकारियों के कार्य सम्पादन में पिछले 16 वर्षों में वर्ष प्रति वर्ष साकारात्मक बदलाव आया है ।

7. पिछले 16 वर्षों में आयोग द्वारा 8991 अपीलों और शिकायतों का निपटान किया गया। 68 सिविल रिट याचिका हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग के द्वारा निर्णित मामलों के विरूद्ध में दायर की गई । दायर की गई सिविल रिट याचिकाओं का विवरण निम्नलिखित है :–

क्रम संख्या	मामले का शीर्षक / मामले की संख्या	स्थिति
1	हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम राज्य सूचना आयोग सी0डबल्यू0पी0–96 / 09	निर्णित
2	हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम श्री सुरेन्द्र सिंह मनकोटिया सी0डबल्यू0पी0–3823 / 2009	निर्णित
3	हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम डा0 पी0के0 आदित्य सी0डबल्यू0पी0–2418 / 2010	उच्च न्यायालय में लम्बित
4	जस्टिस एम0 आर0 वर्मा (सेवानिवृत) बनाम राज्य सूचना आयोग सी0डबल्यू0पी0–2070 / 2010	निर्णित
5	जस्टिस एम0 आर0 वर्मा (सेवानिवृत) बनाम राज्य सूचना आयोग सी0डबल्यू0पी0–1964 / 2010	निर्णित
6	हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम श्री संजय गुप्ता, आई0ए0एस0 सी0डबल्यू0पी0–1050 / 2010	निर्णित
7	सुश्री कल्पना ग्रोवर बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार सी0डबल्यू0पी0–4632 / 2010	निर्णित
8	श्री संजय मण्डयाल बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार सी0डबल्यू0पी0–5418 / 2010	निर्णित
9	श्रीमती राम प्यारी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार सी0डबल्यू0पी0–6404 / 2010	निर्णित
10	श्री राम आसरा बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार सी0डबल्यू0पी0–7462 / 2010	निर्णित
11	हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम अर्चित सन्त और अन्य सी0डबल्यू0पी0–7767 / 2010	निर्णित
12	श्री धर्मपाल बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार सी0डबल्यू0पी0–2446 / 2010	निर्णित
13	सचिव लोकायुक्ता बनाम हरि सिंह तथा अन्य सी0डबल्यू0पी0–533 / 2011	निर्णित
14	रितविक चौहान बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार सी0डबल्यू0पी0–1910 / 2011	निर्णित
15	सी0डबल्यू0पी0–8794 / 2011 श्री वेद प्रकाश बनाम राज्य सूचना आयोग तथा अन्य	निर्णित
16	सी0डबल्यू0पी0–11220 / 2011 मै0 कन्चनजंगा पावर कम्पनी लि0 बनाम राज्य सूचना आयोग	निर्णित
17	सी0डबल्यू0पी0–1240 / 2010 श्री स्वप्न कुमार बनाम राज्य सूचना आयोग तथा अन्य	निर्णित

18	सी0डबल्यू0पी0–640 / 2012 श्री संजय हिण्डवान वनाम राज्य सूचना आयोग, डी0 एफ0 ओ0, सोलन तथा ई0ओ0, एम0सी0,सोलन	निर्णित
19	सी0डबल्यू0पी0–2435 / 2012 दी डींडवान सहकारी समिति बनाम हि0प्र0 सरकार	निर्णित
20	सी0डबल्यू0पी0–6072 / 2012 खण्ड विकास अधिकारी पांवटा साहिब बनाम हि0प्र0 सरकार	निर्णित
21	सी0डबल्यू0पी0–9166 / 2012 श्री प्रकाश चन्द नेगी बनाम राज्य सूचना आयोग	निर्णित
22	सी0डबल्यू0पी0–9210 / 2012 श्री प्रकाश चन्द नेगी वनाम राज्य सूचना आयोग	निर्णित
23	सी0डबल्यू0पी0–8196 / 2012 बाघल लैण्ड लूजर ट्रासपोर्ट सहकारी सभा समिति बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
24	सी0डबल्यू0पी0–9109 / 2012 अम्बुजा दाडला कशलोग मांगू ट्रांसपोर्ट सहकारी सभा समिति बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
25	सी0डबल्यू0पी0–5975 / 2012 पी0सी0 मन्हास वनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
26	सी0डबल्यू0पी0–63 / 2013 वौलेनटियर हैलथ ऐसोसिएशन बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
27	सी0डबल्यू0पी0–798 / 2013 अंजला कुमारी बनाम राज्य सूचना आयोग	निर्णित
28	सी0डबल्यू0पी0–4618 / 2013 इंद्रेश धिमान बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
29	सी0डबल्यू0पी0–6914 / 2013 राजेश चन्द्रा बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
30	सी0डबल्यू0पी0–7167 / 2013 तनु प्रिया बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
31	सी0डबल्यू0पी0–7834 / 2013 श्यामलाल बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
32	सी0डबल्यू0पी0–6537 / 2013 फूल सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
33	सी0डबल्यू0पी0–8900 / 2013 अमर सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
34	सी0डबल्यू0पी0–9139 / 2013 महाधिवक्ता बनाम देवाशीश भट्टाचार्य	निर्णित
35	सी0डबल्यू0पी0–9108 / 2013 मधू नेगी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
36	सी0डबल्यू0पी0–294 / 2014 रवी कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
37	सी0डबल्यू0पी0–2242 / 2014 हिरा सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
38	सी0डबल्यू0पी0–5410 / 2014 हितेश चंद बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
39	सी0डबल्यू0पी0–5434 / 2014 राजेश ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित

40	सी0डबल्यू0पी0–6572 / 2014 योग राज बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
41	सी0डबल्यू0पी0–8511 / 2014 अजय पराशर बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
42	सी0डबल्यू0पी0–555 / 2015 लवण ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
43	सी0डबल्यू0पी0–1367 / 2015 शेखर एस श्रीवास्तवा बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
44	सी0डबल्यू0पी0–684 / 2015 रोशन लाल व अन्य बनाम राज्य सूचना आयोग	निर्णित
45	सी0डबल्यू0पी0–3034 / 2015 जगदीश कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
46	सी0डबल्यू0पी0–3144 / 2015 प्रियंका गांधी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
47	सी0डबल्यू0पी0–3625 / 2015 विक्रम सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
48	सी0डबल्यू0पी0–3767 / 2015 रमेश कुमार नड्डा बनाम राज्य सूचना आयोग	उच्च न्यायालय में लम्बित
49	सी0डबल्यू0पी0–4272 / 2015 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम राज्य सूचना आयोग	उच्च न्यायालय में लम्बित
50	सी0डबल्यू0पी0–385 / 2016 संगीता देवी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
51	सी0डबल्यू0पी0–3450 / 2016 सुखजीत सिंह बनाम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त	निर्णित
52	सी0डबल्यू0पी0–1731 / 2016 निहाल सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
53	सी0डबल्यू0पी0–2288 / 2016 शमशेर सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
54	सी0डबल्यू0पी0–1879 / 2016 के0 आर0 सैजल बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
55	सी0डबल्यू0पी0–1714 / 2017 मदन लाल शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
56	सी0डबल्यू0पी0–2728 / 2017 राजेन्द्र सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
57	सी0डबल्यू0पी0–351 / 2018 नारायण मिश्रा बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	निर्णित
58	सी0डबल्यू0पी0 2033 / 2018 यशपाल सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
59	सी0डबल्यू0पी0 1106 / 2018 प्रताप सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
60	सी0डबल्यू0पी0 1350 / 2018 डॉ0 सुखजीत सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित
61	सी0डबल्यू0पी0 3003 – 3004 / 2018 हिमेंदर कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य	उच्च न्यायालय में लम्बित
62	सी0डबल्यू0पी0 78 / 2019 डी0ए0वी0 सेंटनरी पब्लिक स्कूल, ठियोग बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार	उच्च न्यायालय में लम्बित

63	सी0डबल्यू0पी0 392/2019 हि0 प्र0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग	उच्च न्यायालय में लम्बित
64	सी0डबल्यू0पी0 1038/2019 श्री. हीरा नन्द बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग	उच्च न्यायालय में लम्बित
65	सी0डबल्यू0पी0 4429/2019 मानव भारती विश्वविद्यालय बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग व अन्य	उच्च न्यायालय में लम्बित
66	सी0डबल्यू0पी0 1322/2019 अभिनव चौधरी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग व अन्य	उच्च न्यायालय में लम्बित
67	सी0डबल्यू0पी0 1855/2020 अभिषेक ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग व अन्य	उच्च न्यायालय में लम्बित
68	सी0डबल्यू0पी0 3088/2020 डा0 मेजर सुखजीत सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग	उच्च न्यायालय में लम्बित

अध्याय –7

सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा सूचना आयोग द्वारा नई पहल

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट (sic.hp.gov.in/) पर भी निम्न सूचना उपलब्ध करवाई गई है :–

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं हि0 प्र0 सूचना का अधिकार नियम, 2006 ।

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग की नियमावली।

(iii) हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग (प्रबन्धन) विनियमन, 2008।

(iv) अपीलों तथा शिकायतों के निर्णय जो हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग में दायर की गई थी।

(v) अपीलों तथा शिकायतों की वाद सूची।

(vi) पिछले वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन ।

2. राज्य सूचना आयोग द्वारा अपीलों/शिकायतों, जन सूचना अधिकारियों तथा लोक प्राधिकारियों से प्राप्त पत्रों के पंजीकरण को कम्पयूटराईजड किया जाता है। जिसको करने से आयोग तथा जन समूहों को अपनी अपीलों/शिकायतों की प्राप्ति एवं दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया और निर्णयों की जानकारी तुरन्त प्राप्त हो जाती है । इसके द्वारा आयोग में प्राप्त आवेदकों, शिकायतकर्ताओं, अपीलकर्ताओं तथा अन्य नागरिकों से प्राप्त पत्रों की समीक्षा एवं वर्गीकरण करने के पश्चात् शिकायत (सी), अपील (ए), प्रत्युतर (आर) और सामान्य पत्र (जी0) को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है :

1	अपील	'ए'	हि0 प्र0 सूचना का अधिकार नियम/सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के अर्न्तगत नागरिकों/आवेदकों द्वारा दायर की गई अपीलें ।
2	शिकायतें	'सी'	हि0 प्र0 सूचना का अधिकार नियम/सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अर्न्तगत नागरिकों/आवेदकों द्वारा दायर की गई शिकायतें ।
3	प्रतिउतर	'आर'	आयोग में प्राप्त प्रत्युतर जोकि जांच/अपीलों के सन्दर्भ में जन सूचना अधिकारियों/अन्य अधिकारियों, नागरिकों से प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें सम्बन्धित कोर्ट के रीडर को अग्रेषित किए जाते हैं ।
4	सामान्य पत्र	'जी'	क्रम सं0 1,2 एवं 3 के पत्रों के अतिरिक्त प्राप्त पत्रों को 'जी' दर्शाया जाता है जिन्हें आयोग की सामान्य शाखा को निष्पादन हेतु अग्रेषित किया जाता है ।

इस सॉफटवेयर की सहायता से आयोग के कार्य में पारदर्शिता तथा प्रत्येक पत्र का तुरन्त निष्पादन करने में सहायता मिलती है ।

3. राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश ने एक वीडियो कॉनफ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किया है जो अपीलकर्ता/जन सूचना अधिकारियों को शिमला में राज्य सूचना आयोग के कार्यालय की यात्रा की अतिरिक्त लागत के बिना सुनवाई में भाग लेने की सुविधा प्रदान कर रहा है और साथ ही उनके कीमती समय की बचत करते हुए उन्हें कार्यालय के काम के लिए कम समय समर्पित करने में सक्षम बनाता है। आवेदक/अपीलकर्ता की सक्रिय भागीदारी भी अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन को प्रोत्साहित कर रही है।

4 वर्ष 2020–21 के दौरान, पूरे विश्व में कोविड–19 महामारी फैली थी और भारत भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ था। भारत सरकार ने लोगो के यात्रा करने तथा सभा समारोह करने पर कुछ अवधि के लिए पाबंदियां लगाई थी और इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए अनेक परामर्श, मानक संचालन प्रक्रियाएं और दिशा निर्देश जारी किए थे। इस अवधि के दौरान अपीलकर्ताओं और जन सूचना अधिकारियों की सुविधा के लिए अपीलों और शिकायतों की सुनवाई उनके स्थान पर ही मोबाईल फोन पर विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई ताकि वे कोविड महामारी के समय अनावश्यक यात्रा व अन्य व्यक्तियों के सर्म्पक में आने से बचे रहें।

5 राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना प्राप्त करने वाले आवेदकों की सुविधा लिए जिला स्तर पर समय–समय पर अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई की जाती है। यह कदम आवेदकों को सूचना आयोग के कार्यालय शिमला में आने के खर्चो से राहत दिलवाता है। आवेदकों की सक्रिय भागीदारी सूचना का अधिकार अधिनियम को कार्यान्वयन करने में बहुत सहायक है।

6. राज्य सूचना आयोग, प्रशासनिक सुधार विभाग, हि0प्र0 लोक प्रशासन सस्थान शिमला तथा जिलों के प्रशासन के तालमेल से हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में प्रथम अपीलीय अधिकारियों, जन सूचना अधिकारियों, पंचायत के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों, शहरी निकाय के प्रतिनिधियों, महिला मण्डल/युवक मण्डल के प्रतिनिधियों तथा पत्रकारों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों, आवेदन करने की प्रकिया तथा सूचना प्रदान करने बारे कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जो कि प्रभावी व सफल सिद्ध हुई है।

अध्याय–8

अभिमत एवं संस्तुतियां/सिफारिशें

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 (1) के अधीन पिछले वर्षों सौंपी गई रिपोर्टों में, राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सुचारू तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग द्वारा कुछ संस्तुतियां की गई थी । राज्य सरकार द्वारा इन संस्तुतियों पर कार्रवाई की गई है । कुछ संस्तुतियों जिन पर आगामी कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर अपेक्षित है, यह अभिमत तथा संस्तुतियों तालिका के रूप में सम्मिलित की जा रही है ।

क्रम संख्या	अभिमत एवं संस्तुतियां	की गई कार्रवाई की स्थिति
1.	आयोग द्वारा अपनी प्रथम रिपोर्ट से पंद्रहवीं रिपार्टों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(ए) के उपबन्धों को कार्यान्वयन करने के लिए समयबध कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने के लिए संस्तुति की गई थी कि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण निम्न कार्य करेगें – • इसके समस्त रिकार्ड को व्यवस्थित, विधिवत रूप में इस क्रम से रखा जाए जिससे इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना की प्राप्ति सरल हो तथा • सुनिश्चित किया जाए कि समस्त रिकार्ड जो कम्प्यूटरीकरण के लिए उपयुक्त है उसे समुचित समय तथा संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार, कम्प्यूटरीकरण करवा दिया जाए ताकि नेटवर्क के माध्यम से देश की विभिन्न कम्प्यूटर पद्धतियों द्वारा ऐसे रिकार्ड को प्राप्त करने में सरलता हो।	इस संस्तुति पर प्रशासनिक सुधार विभाग ने विभिन्न विभागों को निर्देश जारी किए हैं और अधिकतर सार्वजनिक प्राधिकरणों ने इस पर अमल कर लिया है।

2.	आयोग द्वारा अपनी प्रथम रिपोर्ट से पंद्रहवीं रिपोर्टों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(बी)के उपबन्धों को कार्यान्वयन करने के लिए संस्तुती की गई थी लेकिन ज्यादातर सार्वजनिक प्राधिकरणों ने इस पर प्रकटीकरण नहीं दिया है। यह सार्वजनिक प्राधिकरणों की वैवसाइट देखने पर सत्यापित किया जा सकता हैं । अतः प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)(बी) के कार्यान्वयन करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए तथा सभी राज्य के सार्वजनिक प्राधिकरणों को इसे कार्यान्वित करना चाहिए ।	इस संस्तुति पर प्रशासनिक सुधार विभाग ने विभिन्न विभागों को निर्देश जारी किए हैं और अधिकतर सार्वजनिक प्राधिकरणों ने इस पर अमल कर लिया है।
3.	आयोग द्वारा अपनी प्रथम रिपोर्ट से पंद्रहवीं रिपोर्टों में यह संस्तुति की गई थी। प्रशासनिक सुधार विभाग को चाहिए कि अधिनियम तथा हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के उपबन्धों को कार्यान्यवन के लिए सहायक जन सूचना अधिकारियों, जन सूचना अधिकारियों तथा अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए ठोस कदम उठाएं । इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बहुत अधिक संख्या में ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के सहायक जनसूचना अधिकारियों, जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान द्वारा इस तरह के और अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है।	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला द्वारा जन सूचना अधिकारियों, अपीलीय प्राधिकारियों तथा राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं संचालित किए गए तथा अधिकारियों को आयोग की सस्तुति पर प्रशिक्षण दिया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम की जन सूचना अधिकारियों व सहायक जन सूचना

		अधिकारियों को कम जानकारी होने के कारण तथा इसके प्रभावशाली परिपालना के लिए हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या को बढ़ा दिया है।
4.	सातवीं से पंद्रहवीं रिपोर्ट में यह संस्तुति की गई थी कि आयोग द्वारा यह पाया गया कि विभागों द्वारा अभिलेखों/नस्तियों का रखरखाव कार्यालय नियमावली के अनुसार नहीं किया गया है जबकि नस्तियों का विषयवार, टिप्पणी सहित और पत्राचार भाग को अलग से नस्ति में रखा जाना चाहिए। यहां तक कि अभिलेखों का वर्गीकरण स्थायी एवं समयवार तथा पारदर्शिता के तौर पर नहीं रखा गया है । सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (अ) और (व) तथा कार्यालय नियमावली के अनुरूप नस्ति सूचि पंजी तथा गार्ड फाईल का रखरखाव नहीं किया गया है। जिस कारण सूचना प्राप्त करने वाले को सूचना देरी से प्रदान कल जा रही है । अतः प्रत्येक विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं कि कार्यालय नियमावली के अनुरूप निश्चित समयसीमा के भीतर अभिलेखों/नस्तियों का रखरखाव किया जाए ।	इस संस्तुति पर प्रशासनिक सुधार विभाग ने विभिन्न विभागों को निर्देश जारी किए हैं और अधिकतर सार्वजनिक प्राधिकरणों ने इस पर अमल कर लिया है।
5.	आयोग की इससे पहले की रिपोर्टों में भी यह संस्तुति की गई थी कि प्रथम अपीलीय अधिकारियों तथा	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला

	सार्वजनिक प्राधिकरणों के विभागाध्यक्षो को प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण हेतु संस्तुति की गई थी।	द्वारा अपीलीय प्राधिकारियों तथा राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं संचालित किए गए।
6.	प्रशासनिक सुधार विभाग से चतुर्थ रिपोर्ट से पंद्रहवीं रिपोर्ट में विभिन्न कार्यालयों में अवधिक निरीक्षण करने के लिए आग्रह किया गया था जिससे यह निश्चित किया जा सके कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्धों का कार्यान्वयन प्रभावशाली तरीके से किया जा रहा है तथा संस्तुतियों का कार्यान्वयन करने के लिए विभाग द्वारा कई विभागों को प्रशासनिक निर्देश दिए गए हैं ।इसके अतिरिक्त, द्वितीय अपीलों/शिकायतों की सुनवाई के दौरान, आयोग ने पाया कि अधिकांश मामले आयोग में प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के विरूध दायर किए गए हैं क्योंकि अधिकांश मामलों में प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों ने प्रावधानों के अनुसार प्रथम अपील का निर्णय नहीं किया है । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (6) के तहत निर्धारित समयावधि में या लिखित आदेश पारित करने और हि0 प्र0 सूचना का अधिकार नियम,2006 (छठे संशोधन) के नियम 6(5) के अनुसार योग्यता के आधार पर अपील का निर्णय नहीं किया है। तथापि सूचना का अधिकार पंजीयो का निरीक्षण करना बहुत आवश्यक है जिससे आवेदनों	प्रशासनिक सुधार विभाग ने विभिन्न विभागों को निर्देश जारी किए हैं । हालांकि, इस संबंध में और ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है । साथ ही, प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को प्रथम अपीलों का कुशलतापूर्वक निपटान करने की आवश्यकता है जिससे आयोग में शिकायतों और द्वितीय अपीलों को दाखिल करनें में कमी आयेगी । इससे सूचना चाहने वालों का कीमती समय और पैसा बचाने में मदद मिलेगी ।

	तथा प्रथम अपीलों को समय पर निपटाया जा सके। इस प्रकार के कदम शिकायतों तथा द्वितीय अपीलों को आयोग में कम संख्या में दायर होने के लिए सहायक होंगे। परिणामस्वरूप प्रशासनिक सुधार विभाग सभी विभागों को यह निर्देश जारी करे कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम व विनियमों को अपने नियमित निरीक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित करें व इसे अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के सामान्य निरीक्षण का हिस्सा बनाना सुनिशिचित करें ।	
7.	राज्य सूचना आयोग द्वारा छठी से पंद्रहवीं वार्षिक रिपोर्ट में यह संस्तुति की गई थी कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जे) के अनुसार नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किये गए कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार है लेकिन हि0 प्र0 सूचना का अधिकार नियम 2006 में निरीक्षण हेतू फीस लेने का तथा प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं है। ये नियम अधिनियम की पूर्वोक्त धारा में परिकल्पित आवेदक द्वारा कार्य के निरीक्षण के संबध में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करते हैं । अतः दुबारा यह संस्तुति की जाती है कि हि0 प्र0 सूचना का अधिकार नियम, 2006 में उचित प्रावधान को सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि सूचना लेने वाला निर्धारित शुल्क देने के उपरान्त राज्य के सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण कर सके ।	इस सिफारिश पर प्रशासनिक सुधार विभाग ने हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के नियम 5 में आवश्यक संशोधन करने के लिए कानून विभाग के साथ मामला उठाया है और यह कानून विभाग के विचाराधीन है ।
8.	आयोग के स्तर पर विभिन्न सुनवाईयों के दौरान यह अनुभव किया गया है कि विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा ऐसे जन सूचना अधिकारी को	इस सिफारिश पर प्रशासनिक सुधार

	नामित किया है जो अधिकारी स्तर की श्रेणी में नहीं हैं । उदाहरण के लिए पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिव वर्ग–III कर्मचारियों को जन सूचना अधिकारी नामित किया गया है । ज्यादातर पंचायत सचिव संविदा के आधार पर हैं जोकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5 (1) का उल्लंघन है जबकि जन सूचना अधिकारी एक अधिकारी वर्ग से संबन्धित होना चाहिए । तत्काल संदर्भ के लिए अधिनियम के तहत धारा 5 (1) यह दर्शाती है : धारा–5 (1) ''प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों।'' अतः आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकार सभी सार्वजनिक प्राधिकारियों को निर्देश दें कि जो भी जन सूचना अधिकारी नामित किए जाएं वह कम से कम द्वितीय वर्ग के स्तर के अधिकारी हों और सरकार में स्थायी रूप में कार्यरत हों ताकि वे सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से सूचना प्राप्त करने में सक्षम हों और उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत किसी भी चूक/लागत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके ।	विभाग ने पंचायती राज विभाग के साथ मामला उठाया है, पंचायती राज विभाग ने जवाब में सूचित किया है कि पंचायत सचिव के अलावा पंचायत कार्यालय में कोई अन्य अधिकारी/कर्मचारी तैनात नहीं होता है और आगे कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें एक लोक प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारी को दूसरे लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सके।

इसलिए उक्त क्रम सं0 6 से 8 तक की सिफारिशों को फिर से दोहराया जाता है, अन्य सिफारिशों और टिप्पणियां निम्नानुसार है :–

आयोग सिफारिश करता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूक हो सकें।

आयोग द्वारा राज्य सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों से वर्ष 2020–21 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया के बारे में प्राप्त हुई रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया जिसमें पाया गया कि कुल 53,325 आवेदन अधिनियम के अन्तर्गत सूचना लेने के लिए प्राप्त हुए जिनमें से मात्र 1218 मामले जन सूचना अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त नामित अपीलीय प्राधिकारियों के पास 2215 प्रथम अपीलें दायर हुई तथा 63 शिकायतें व 286 द्वितीय अपीलें आयोग में प्राप्त हुई। नामित अपीलीय प्राधिकारियों के पास इतनी कम मात्रा में प्राप्त प्रथम अपीलों तथा आयोग के पास दायर कम शिकायतों/द्वितीय अपीलों से जाहिर है कि राज्य में विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों के प्रत्युत्तर से आवेदक आमतौर पर संतुष्ट रहे । आयोग के पास प्राप्त हुई अपीलों तथा शिकायतों का निर्णय करते हुए यह पाया गया कि अधिकतर शिकायतें तथा अपीलें जन सूचना अधिकारियों के विलम्ब से उत्तर प्राप्ति से सम्बन्धित थी । अधिकांश मामलों में विलम्ब का कारण जन सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों की जानकारी न होना पाया गया। इसके अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यक्षेत्र के बारे में आवेदकों को जानकारी न होना भी पाया गया । बड़ी संख्या में आवेदकों/अपीलकर्ताओं द्वारा राज्य सूचना आयोग से अपनी शिकायतों में सुधार की अपेक्षा भी की गई। मौजूदा सूचना/अभिलेखों से नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा सशक्त बनाए रखना ही इस अधिनियम का सार है।

Sixteenth

ANNUAL REPORT

ON

IMPLEMENTATION OF THE RTI ACT, 2005

{APRIL 1, 2020 TO MARCH 31, 2021}

HIMACHAL PRADESH

STATE INFORMATION COMMISSION

Keonthal Complex
Khalini, Shimla-171002

Telephone: 0177-2620166, 2629894, 2621529
E-mail: scic-hp@nic.in
Website: sic.hp.gov.in

Index

Chapter No.	Subject	Page No.
1.	The Right To Information Act, 2005 And The HP RTI Rules, 2006.	1-7
2.	Role And Responsibilities Of The Himachal Pradesh State Information Commission.	8-12
3.	Implementation Of The Act (Disposal of Appeals and Complaints by HP State Information Commission During the Year 2020-21)	13-15
4.	State Information Commission: A Glimpse of Important Statistics 2020-21	16-18
5.	Implementation Of The Act (Disposal Of Applications/ Appeals by the Public Information Officers/ First Appellate Authorities of various Public Authorities in Himachal Pradesh During the Year 2020-21)	19-27
6.	Implementation of the RTI Act, 2005 During Past Sixteen Years	28-36
7.	Use of Information Technology and New Initiatives Taken by State Information Commission	37-39
8.	Observations and Recommendations	40-45

CHAPTER–1

The Right To Information Act, 2005 and the HP RTI Rules, 2006.

The Right to Information Act, 2005 was enacted by the Indian Parliament on 15th June, 2005. It came into force on 12th October, 2005 but some of the provisions came into force with immediate effect. These provisions included obligations of public authorities, constitution of various Information Commissions, designation of Public Information Officers/Assistant Public Information Officers and the power to make rules by various Competent Authorities. The Act has a comprehensive reach and covers a wide spectrum of organizations. All the Departments and Undertakings of various Governments, Panchayati Raj Institutions, Urban Local Bodies, other Bodies established, constituted, owned, controlled or substantially financed by governments including non-governmental organizations are covered under the Act. Access to information to all Indian citizens is the general rule under this Act, with very few exemptions which are provided in the Act itself.

The Right to Information Act, 2005:

2. The provisions of the RTI Act, 2005 can be summarized as under:-

(i) Any Indian citizen can seek information from any public authority without specifying any reason for seeking the same.

(ii) The Supreme Court decision in Raj Narain's case and consultation process in the appointment of judges case have recognized that the right of citizens to obtain information on matters relating to public acts flows from the fundamental right enshrined in Article 19 (1) (a) of the constitution.

(iii) The Public Information Officers have to provide the information sought within the time limits specified in the Act, information can't be denied except as per exemptions provided in section 8 and 9 of the Act.

(iv) All Government Departments, Corporations/Boards, Urban Local Bodies, Panchayati Raj Institutions and bodies established, constituted, owned, controlled or substantially financed by Government including Non-Governmental Organizations come within the purview of the Act.

(v) The Public Information Officers have to pass reasoned orders while rejecting requests of applicants. Similarly, the Appellate Authorities also have to pass well reasoned and speaking orders while deciding the appeals within the specified period.

(vi) Time is of the essence for providing information.

(vii) It fixes up the accountability of the public authorities by way of imposition of penalty in case of default.

3. The duties and obligations of various public authorities under the State Governments have been prescribed in the RTI Act, 2005 as under:-

(i) Suo motu disclosure of information on 17 points by public authorities on various aspects of their functioning which are required to be updated and published each year as prescribed in section 4(1)(b) of the Act.

(ii) The public authorities are required to designate adequate number of Public Information Officers to provide information to the applicants and Assistant Public Information Officers to receive applications and forward them to the Public Information Officers for further processing.

(iii) The public authorities are required to designate adequate number of Appellate Authorities under section 19 of the Act to consider and decide the first appeals against the decisions of the PIOs.

4. The terms 'Information', 'Record', and 'Right to Information' have been defined in the RTI Act, 2005 as under:-

(i) 'Information' means any material in any form, including records, documents, memos, e-mails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force;

(ii) 'Record' includes;

(a) any document, manuscript and file;

(b) any microfilm, microfiche and facsimile copy of a document;

(c) any reproduction of image or images embodied in such microfilm(whether enlarged or not); and

(d) any other material produced by a computer or any other device;

(iii) 'Right to Information' means the right to information accessible under this Act which is held by or under the control of any public authority and includes the right to-

(i) Inspection of work, documents, records;

(ii) Taking notes, extracts or certified copies of documents or records;

(iii) Taking certified sample of material;

(iv) Obtaining information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through printouts where such information is stored in a computer or in any other device.

5. The RTI Act, 2005 defines 'Public Authority' as under:-

'Public Authority' means any authority or body or institution of self government established or constituted-

(a) by or under the Constitution;

(b) by any other law made by Parliament;

(c) by any other law made by State Legislature;

(d) by notification issued or order made by the appropriate Government, and includes any-

(i) body owned, controlled or substantially financed;

(ii) Non-Government organization substantially financed, directly or indirectly by funds provided by the appropriate Government.

6. Section 22 of the RTI Act, 2005 provides that the provisions of the Act, shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Official Secrets Act, 1923 and any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

7. Sections 8 and 9 of the RTI Act, 2005 contain various exemptions from disclosure of information to a citizen. These can be summarized as under:-

(i) Information, disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the State, relation with foregin State or lead to incitement of an offence;

(ii) Information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court;

(iii) Information, the disclosure of which would cause a breach of privilege of Parliament or the State Legislature;

(iv) Information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party;

(v) Information available to a person in his fiduciary relationship;

(vi) Information received in confidence from foreign Government;

(vii) Information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or indentify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purposes;

(viii) Information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders;

(ix) Cabinet papers including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries and other officers;

(x) Information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual;

Himachal Pradesh Right to Information Rules

8. Sections 27 and 28 of the RTI Act, 2005 empowers the State Government and other competent authorities to make rules to carry out smooth and effective implementation of the provisions of the Act. In pursuance of these provisions, the Government of Himachal Pradesh and other Competent Authorities namely The Himachal Pradesh Vidhan Sabha and The High Court of Himachal Pradesh have made the Rules under the Act. **The Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006** were notified by the State Government on 21st January, 2006. **"The Himachal Vidhan Sabha Secretariat Right to Information (Regulation of Fee & Cost) Rules, 2006"** were notified on 15th June, 2006 and "**The High Court of Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2005"** were notified on 30th November, 2005.

9. The salient features of the Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006 are as under:-

(i) Any person seeking information or seeking to inspect the record is required to make an application to the PIO/APIO of the public authority concerned, accompanied by the proof of payment of prescribed fee.

(ii) Applicants belonging to Below Poverty Line (BPL) category are not required to pay any fee for seeking the desired information or for inspection of any record.

(iii) A separate application is required to be filed for seeking information in respect of each subject and in respect of each year.

(iv) Every page of information supplied to the applicant shall be duly authenticated giving the name of the applicant and shall bear the dated signatures and seal of the PIO.

(v) The details of fee to be charged for furnishing the documents and for inspection of documents are given in the table below:—

Sr. No	Description of information	Price/Fee
1	Fee alongwith application.	₹10 per application.
2	Where the information is available in the form of a priced publication.	On printed price.
3	For other than priced publication.	(i) ₹2 per page of A-4 size or smaller. (ii) Actual cost subject to minimum of ₹20 per page in case of larger size paper.
4	Where information is available in electronic form and is to be supplied in electronic form e.g. Floppy, CD etc.	₹50 per floppy and ₹100 per CD.
5	Fee for inspection of Record/document.	₹20 per 30 minutes or fraction thereof.

(vi) The prescribed fee is required to be paid through Demand Draft or Indian Postal Order payable to the PIO of the public authority concerned or can be deposited in a government treasury under the head of account **"0070-OAS, 60-OS, 118-OR, 01 – Receipt head under Right to Information Act, 2005"**.

10. The Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006 also lay down the procedure for filing an appeal before the designated Appellate Authority of

the public authority as well as before the Himachal Pradesh State Information Commission. As per provisions of these Rules, the memorandum of appeal should contain the name and address of the appellant as well as that of the PIO against whose decision the appeal is preferred along with particulars of the order against which the appeal is preferred. The appellant is required to file two sets of appeal. It should also contain brief facts leading to the appeal. In cases of deemed refusal, the particulars of the application, including number and date, name and address of the PIO to whom the application was made is required to be indicated by the appellant in the memorandum of appeal. The appellant is also required to specify the prayer or relief sought, and grounds for the prayer or relief sought in the memorandum of the appeal.

11. The Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006, under Rule 6(5) also provide that the designated Appellate Authority or the Himachal Pradesh State Information Commission shall decide an appeal ex-parte, on merits of the case, if the appellant is not present in person on the date of hearing. It has also been provided that the appellant shall not urge nor be heard in support of any ground or objection which has not been set forth in the memorandum of appeal filed before the Appellate Authority/Commission. However, the designated Appellate Authority/ Commission need not confine itself to the grounds set forth in the memorandum while deciding the appeal.

12. Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006, empower the Himachal Pradesh State Information Commission to frame Regulations in respect of its day-to-day proceedings. Consequently the State Information Commission has framed the Himachal Pradesh State Information Commission (Management) Regulations, 2008 which came into force with effect from 1st September, 2008.

13. Section 25 (4) of the RTI Act, 2005 empowers Commissions to prepare a report on the implementation of the provisions of the Act during each year and forward the same to the appropriate Government for laying it before the Parliament/State Legislative Assemblies. In pursuance of the provision of the

Act, the Himachal Pradesh State Information Commission has prepared the Sixteenth Report on the implementation of the Right to Information Act, 2005 in the State of Himachal Pradesh during the year 2020-21 for laying it before the State Legislative Assembly of Himachal Pradesh.

CHAPTER -2

Role and Responsibilities of the Himachal Pradesh State Information Commission

The Himachal Pradesh State Information Commission was constituted vide a notification issued on 4th February, 2006 by the Department of Administrative Reforms of the Government of Himachal Pradesh. The Commission started functioning with effect from 1st March, 2006 with its headquarters at Shimla, on the assumption of the office of State Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh by Shri P.S. Rana as the first Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh. The Secretariat administration of the State Government provided secretarial staff and other support to the Himachal Pradesh State Information Commission right from 1st March, 2006 and thereafter. The Commission functioned as a single member body upto 1st July, 2007 and thereafter, Sh. S.S. Parmar joined as State Information Commissioner on 2nd July, 2007. Details of Former and incumbent State Chief Information Commissioners and State Information Commissioners are as under:

State Chief Information Commissioners			
Sr. No.	**Name**	**Date of Appointment**	**Date of Retirement**
1.	Sh. Prem Singh Rana, IAS (Retd.)	01.03.2006	28.02.2011
2.	Sh. Bhim Sen, IAS (Retd.)	25.03.2011	23.03.2016
3.	Sh. Narinder Chauhan IAS (Retd.)	30.06.2017	-----
State Information Commissioners			
1.	Sh. Surjit Singh Parmar, IAS (Retd.)	02.07.2007	05.06.2012
2.	Sh. Kali Dass Batish	08.06.2012	07.06.2017
3.	Sh. Sushil Chandra Srivastava, IFS (Retd.)	30.06.2017	23.07.2020

2. During the financial year 2020-21, a sum of ₹**2,22,41,034/-** was allocated under the Head 2070-00-118-01-SOON(NP) to the Commission for meeting its expenses. The break-up of the SOEs allocation is as under:-

SOE	Sub Head	Sanctioned Budget	Expenditure
01	Salary	12500000	11853902
02	Wages	184000	183250
03	Travel Expenses	32000	6528
05	Office Expenses	1559000	1528048
06	Medical Reimbursement	221000	188387
07	Rent, Rates & Taxes	4683000	4633600
09	ADVERTISING & PUBLICITY	21034	21034
10	Hospitality & Entertainment	80000	75517
12	Professional & Special Services	70000	28000
20	Other Charges	460000	456330
30	Motor Vehicle	756000	709191
65	Remuneration to Outsource Employees	1675000	1666449
	Grand Total	**22241034**	**21350236**

3. The State Government of Himachal Pradesh has created 35 posts for smooth functioning of the Himachal Pradesh State Information Commission. The details of these posts are as under:-

Sr. No	Designation of the posts	Pay scale + Grade pay of the post	No. of posts created
1.	Chief Information Commissioner	2,50,000/-	1
2.	State Information Commissioner	2,25,000/-	1
3.	Secretary (IAS/ HAS)	in their own pay scale	1
4.	Section Officer	15600-39100+ ₹ 5400	1
5.	Private Secretary	15600-39100+ ₹ 5400	2
6.	Reader-cum-Ahalmad	15600-39100+ ₹ 5400	2
7.	System Analyst	15600-39100+ ₹ 5400	1

8.	Personal Assistant	10300-34800 + ₹ 4800	4
9.	Senior Assistant	10300-34800+ ₹ 4400	2
10.	Clerk	10300-34800+ ₹ 3200	2
11.	Clerk-cum-Data Entry Operator	10300-34800+ ₹ 3200	2
12.	Junior Scale Stenographer	5910-20200 + ₹ 2800	4
13.	Driver	5910-20200 + ₹ 2400	3
14.	Process Server	4900-10680 + ₹ 1400	1
15.	Chowkidar	4900-10680 + ₹ 1300	1
16.	Peons	4900-10680 + ₹ 1300	5
17.	Frash-cum-Mali	4900-10680 + ₹ 1300	1
18.	Sweeper	4900-10680 + ₹ 1300	1
		Total	**35**

4. The Powers and Functions of the State Information Commission under the RTI Act, 2005 are as under:-

I. Enquiries under Section 18 of the Act.

(i) Subject to the provisions of the Act, the State Information Commission is required to receive and inquire into a complaint from any person,--

(a) who has been unable to submit a request to a PIO or whose request has been refused;

(b) who has been refused access to any information;

(c) who has not been given a response to a request for information or access to information within prescribed time limit;

(d) who has been required to pay an unreasonable amount of fee;

(e) who believes that he or she has been given incomplete, misleading or false information; and

(f) in respect of any other matter relating to requesting or obtaining access to records under this Act.

(ii) The Commission shall, while inquiring into any matter under this Section have the same powers as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of persons and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce the documents or things;

(b) requiring the discovery and inspection of documents;

(c) receiving evidence on affidavit;

(d) requisitioning any public record or copies thereof from any Court of Office;

(e) issuing summons for examination of witnesses or documents.

(f) any other matter which may be prescribed.

(iii) The Commission, during the inquiry of any complaint may examine any record to which this Act applies which is under the control of any public authority, and no such record may be withheld from it on any grounds.

II. Appeals under section 19 of the Act.

(i) A Second Appeal against the decision of first Appellate Authority shall lie with the State Information Commission within ninety days. However, the Commission, may admit an appeal after the expiry of the period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(ii) If the decision against which an appeal is preferred relates to information of a third party, the Commission shall give a reasonable opportunity of being heard to that third party.

(iii) In any appeal, the onus to prove that a denial of a request was justified shall be on the PIO, who denied the request.

(iv) The decision of the State Information Commission shall be binding.

(v) In its decision, the Commission has the power to require the public authority to take such steps as may be necessary to secure compliance with the provisions of the RTI Act, 2005 including grant of compensation to the complainant/ appellant.

III. Penalties under section 20 of the Act

(i) Where the Commission, at the time of deciding any complaint or appeal is of the opinion that the PIO has without any reasonable cause, refused to receive an application for information or has not furnished information within the time specified in section 7 of the RTI Act, 2005 or malafidely denied the request for information or knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or destroyed information which was the subject of the request or obstructed in any manner furnishing of the

information, it shall impose a penalty of two hundred and fifty rupees per day upon the PIO till the application is received or information is furnished.

(ii) Where the Commission, at the time of deciding any complaint or appeal is of the opinion that the PIO has without any reasonable cause and persistently, failed to receive an application for information or has not furnished information within the time specified under the RTI Act or malafidely denied the request for information or knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or destroyed information which was the subject of the request or obstructed in any manner in furnishing the information, it may recommend disciplinary action against the PIO.

5. The powers and duties of officers and employees of the Himachal Pradesh State Information Commission are as under:-

Sr. No.	Designation	Power and duties
i	State Chief Information Commissioner	General superintendence, direction and management of affairs of the Commission. Disposal of appeals and complaints.
ii	State Information Commissioner	Disposal of appeals & complaints.
iii	Secretary-cum-Registrar	Administration and financial control in the Commission and to provide assistance to the State CIC/State IC.
iv	Private Secretary to the State CIC/State IC	Secretarial assistance and carry out work assigned by State CIC/ State IC
v	Reader-cum-Ahlmad	Processing of appeals and complaints and carry out work assigned by the State CIC and State IC.
vi	Section Officer-cum-Assistant Registrar	Assisting the Secretary-cum-Registrar in the administrative, financial and other matters of the Commission.
vii	The support staff	Providing assistance to the officers and carry out work assigned by supervisory officers of the Commission.

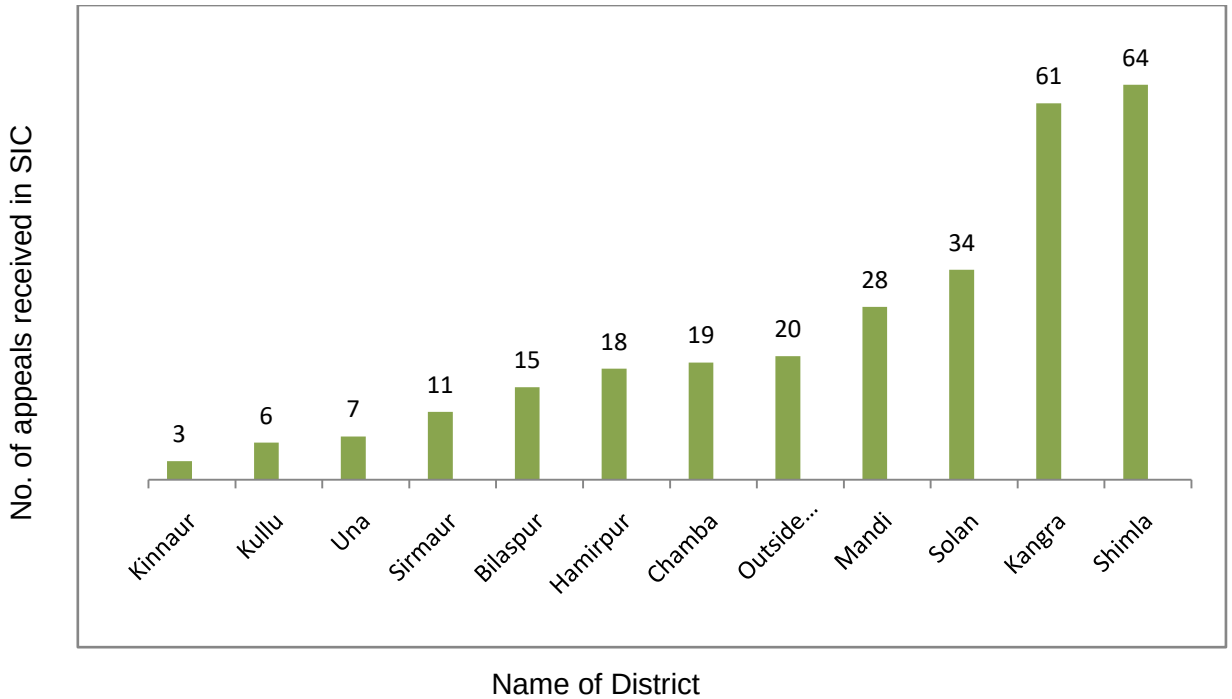
CHAPTER–3

Implementation of the Act

(Disposal of Appeals and Complaints by the Himachal Pradesh State Information Commission during the Year 2020-21)

The Himachal Pradesh State Information Commission received 286 appeals from various appellants residing in 11 districts of the State and outside the State against the decisions of Public Information Officers/first Appellate Authorities during the year 2020-21. 159 of these appeals were filed by appellants residing in three districts of state namely Shimla, Kangra and Solan. The remaining 127 appeals were received from residents of the remaining districts and from outside the State. 189 appeals were pending as on 01.04.2020 in addition to 286 appeals received during the year 2020-21. The district wise status of appeals received in the Commission is given in the bar chart below:

District wise breakup of appeals received in the Commission

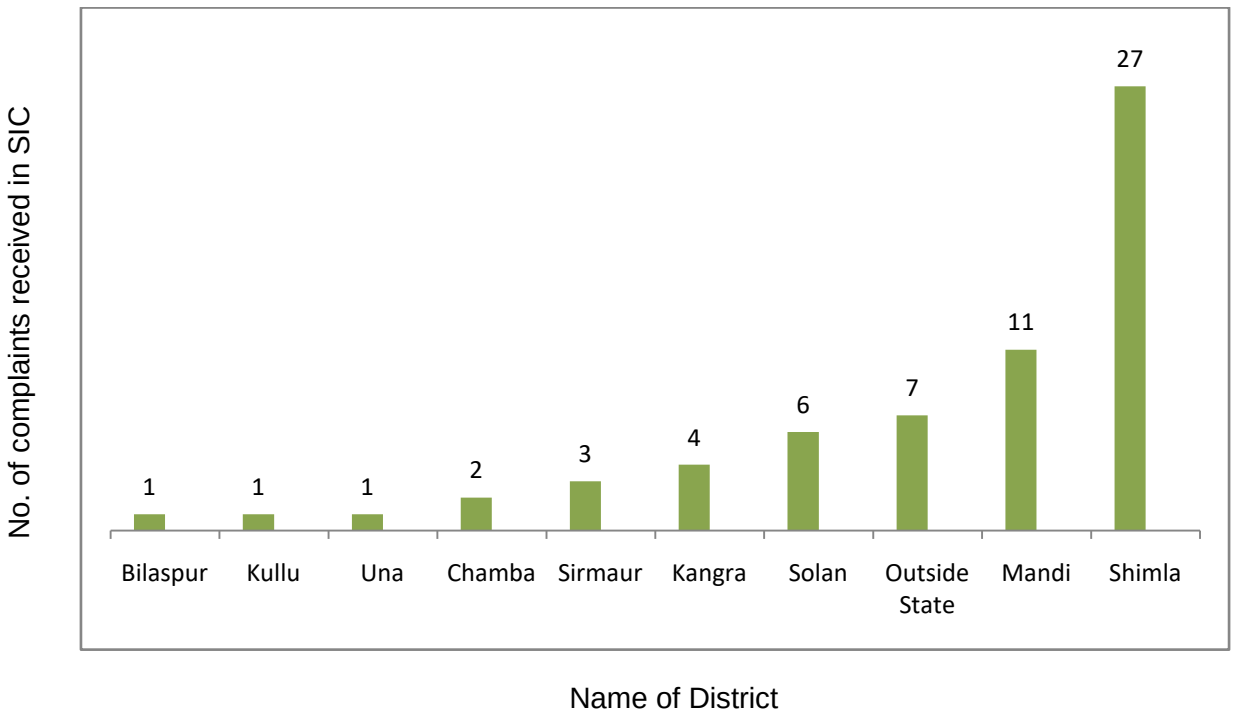


2. Out of the total of 475 appeals, 193 appeals were decided during the year leaving 282 appeals pending for decision as on 31.3.2021. The breakup of appeals decided/pending in the Commission is given in the table below:

(a) Appeals pending as on 1.4.2020	189
(b) Appeals received during the year	286
(c) Appeals decided during the year	193
(d) Appeals pending as on 31.3.2021	282

3. Apart from 286 appeals, the Himachal Pradesh State Information Commission received 63 complaints under Section 18 of the RTI Act, 2005 during the year 2020-21. The complainants were from 9 districts of the state as well as from outside the state. However, 44 complaints (approx. 70% of the total complaints) were received from the complainants residing in three districts of the state namely Shimla, Mandi and Solan. The district wise status of complaints received during the year 2020-21 is given in the bar chart below:

District wise breakup of complaints received in the Commission



4. In addition to the 63 complaints received during the year, 4 complaints were pending as on 1.4.2020. Out of the total of 67 complaints, 44 complaints

were decided by the Commission during the year and 23 complaints remained pending for disposal as on 31.3.2021. The breakup of the complaints received, decided and pending is given below:-

(a) Complaints pending as on 1.4.2020 4

(b) Complaints received during 2020-21 63

(c) Complaints decided during the year 44

(d) Complaints pending as on 31.3.2021 23

5. The consolidated details of appeals and complaints received in the Commission and decided during the year under report are as under:

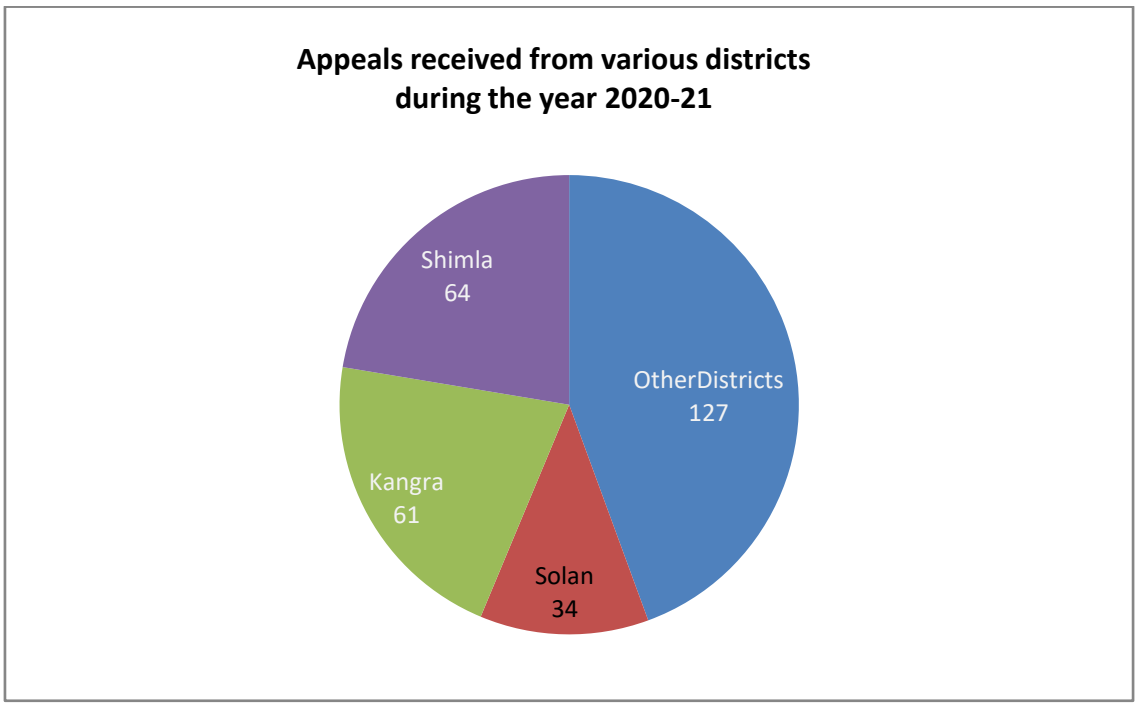
CONSOLIDATED DETAILS OF CASES IN HIMACHAL PRADESH STATE INFORMATION COMMISSION DURING THE YEAR 2020-21			
	APPEALS	**COMPLAINTS**	**TOTAL**
PENDING AS ON 1.4.2020	189	4	193
FILED DURING THE YEAR	286	63	349
Total	475	67	542
DECIDED	193	44	237
PENDING AS ON 31.3.2021	282	23	305

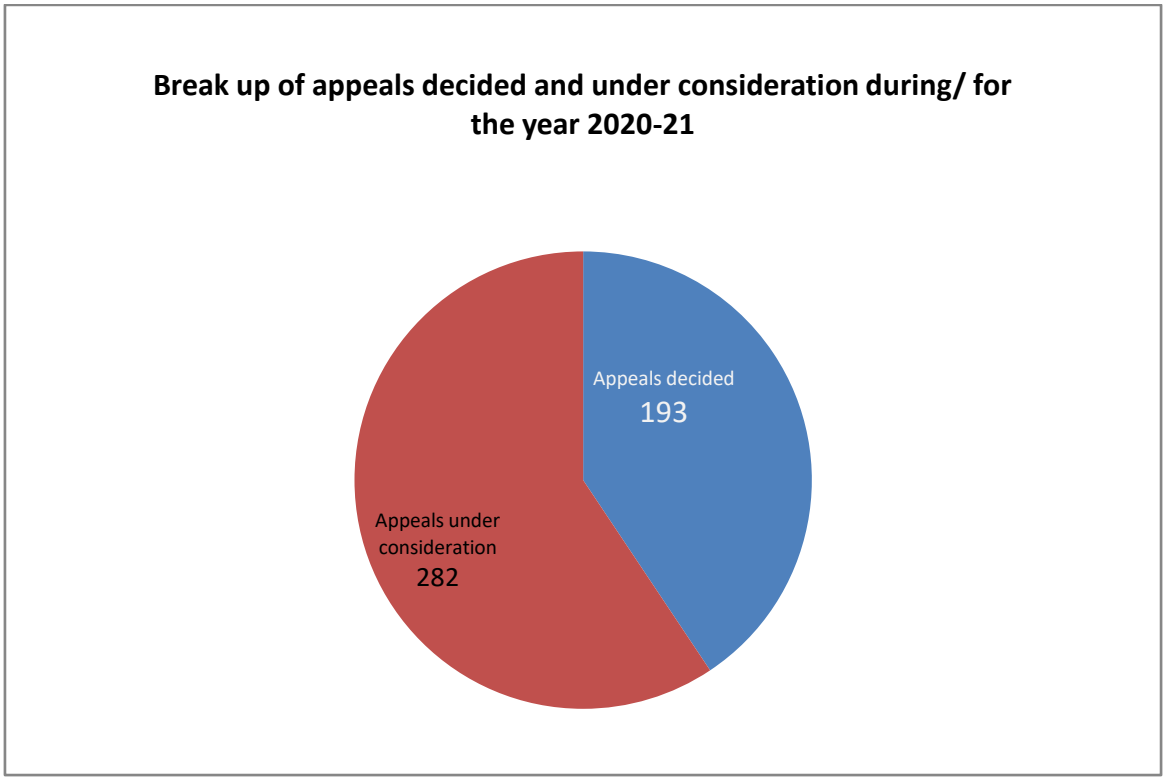
CHAPTER-4

State Information Commission: A Glimpse of Important Statistics 2020-21

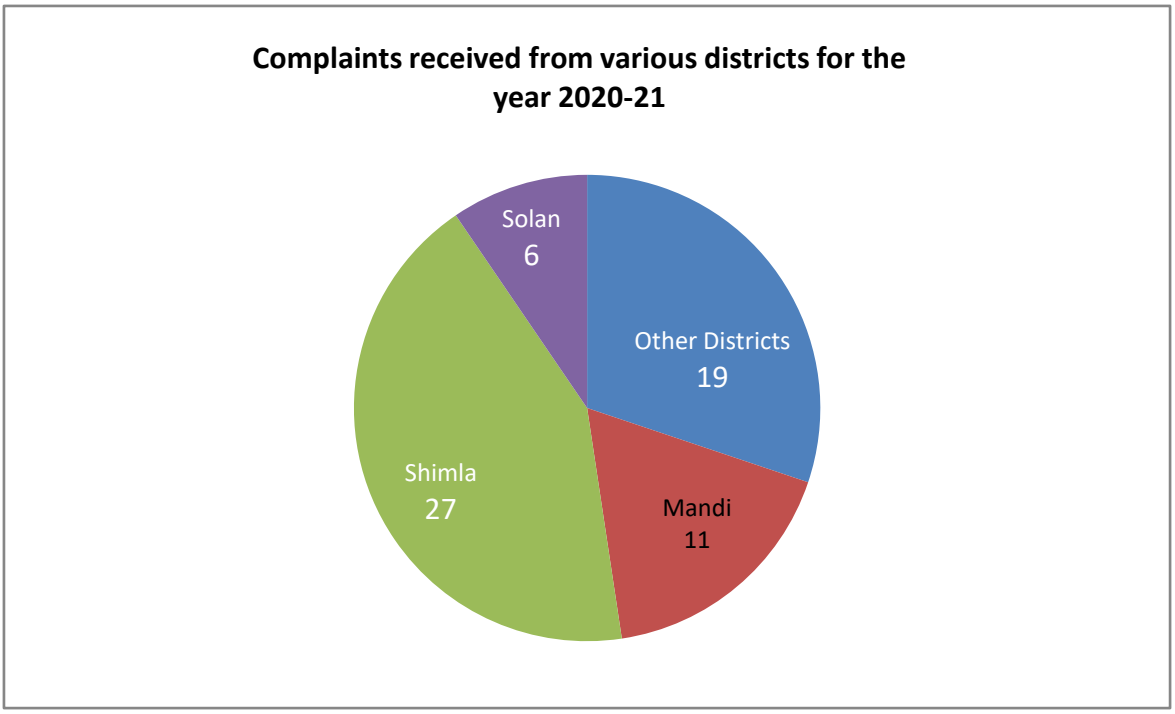
a)	Number of public authorities which submitted Annual Return to the State Information Commission	112
b)	Number of applications filed with various public authorities under the RTI Act, 2005 from 01.04.2020 to 31.03.2021	53325
c)	Number of applications rejected by the Public Information Officers (PIOs) of these public authorities	1218
d)	Total amount of fee and additional fee collected by the PIOs	1434017
e)	Number of first appeals filed under section 19 of the RTI Act, 2005 with the Appellate Authorities during the year	2215
f)	(i) Number of second appeals filed under section 19 of the RTI Act, 2005 during the year with the Commission	:286 :189
	(ii) Number of appeals in process as on 01.04.2020	:475
	(iii) Total number of appeals	:193
	(iv) Number of second appeal decided by the Commission during the year	
g)	(i) Number of complaints filed under section 18 of the RTI Act, 2005 during the year with the Commission	: 63
	(ii) Number of complaints in process as on 01.04.2020	: 4
	(iii) Total number of Complaints	: 67
	(iv) Number of Complaints decided during the year	: 44

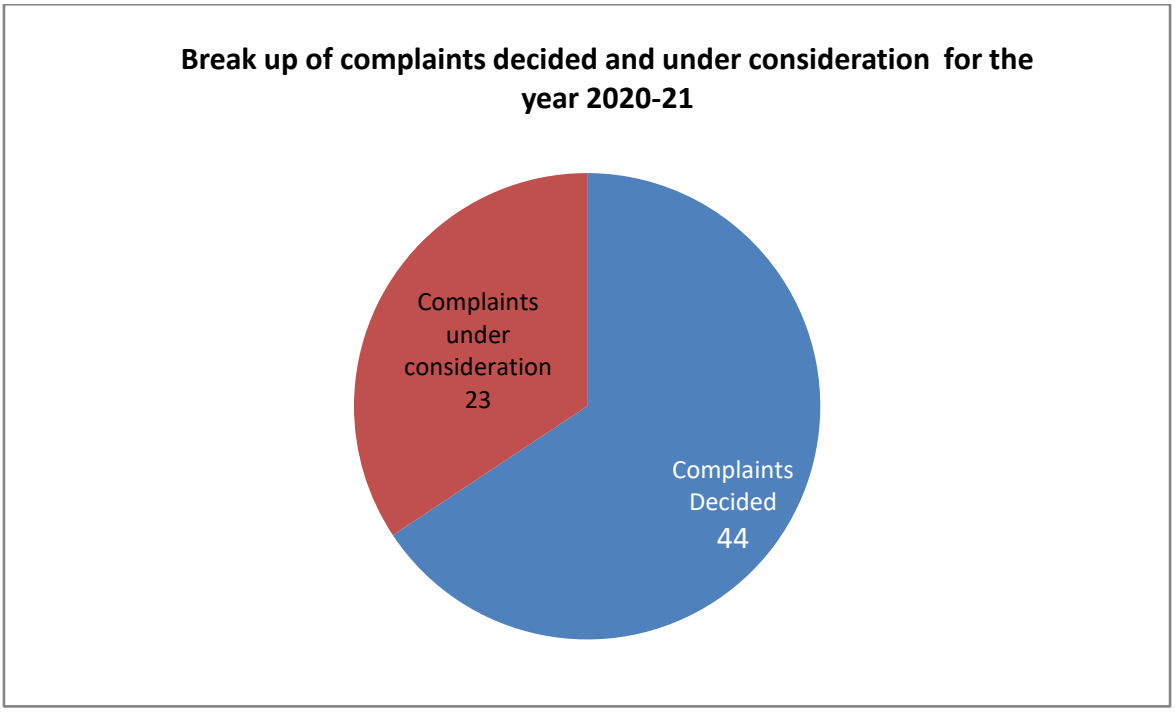
Break up of Appeals received, decided and under consideration in the State Information Commission during the year 2020-21





Break up of Complaints received, decided and under consideration in the State Information Commission for the year 2020-21





CHAPTER-5

Implementation of the RTI Act, 2005

Disposal of Applications/ Appeals by the Public Information Officers/ First Appellate Authorities of various Public Authorities in Himachal Pradesh during the Year 2020-21

Sections 6, 7, 11 of the RTI Act, 2005, read with HP RTI Rules, 2006 prescribe the procedure and time frame for furnishing the information held by public authorities to the information seekers through the Public Information Officers, designated for the purpose. As per reports received in the Himachal Pradesh State Information Commission, 53325 applications were filed in the offices of 112 public authorities of the State Government for seeking information under the Act during 2020-21. The details of applications received, applications rejected, and appeals filed, fee collected etc. by these public authorities are as under:—

Sr. No.	Name of Public Authority	Number of applications received	Applications rejected by the PIOs	Appeals filed before the First Appellate Authorities	Appeals filed before the State Information Commission	Number of cases where compensation was awarded by the Commission	Number of cases where penalty was imposed by the Commission	Amount of fee collected
1.	Governor Secretariat	17	----	----	----	----	----	550
2.	H.P. Judiciary	832	1	12	----	----	----	30870
3.	State Information Commission	29	----	5	1	----	----	526
4.	Lokayukta	15		13	1	----	----	210
5.	Human Rights Commission	2	----	----	----	----	----	20
6.	Electricity Regulatory Commission	16	----	----	----	----	----	280
7.	Commission for Backward	8	----	----	----	----	----	1170

	Class							
8.	Divisional Commissioner Shimla	31	----	2	1	----	----	815
9.	Divisional Commissioner Kangra	72	----	2	----	----	----	2660
10.	Divisional Commissioner Mandi	61	----	---	1	----	----	3652
11.	Advocate General	34	----	1	----	----	----	1370
12.	HP Judicial Academy	1	----	----	----	----	----	104
13.	Election Commission	35	----	----	----	----	----	340
14.	Public Service Commission	493	----	13	1	----	----	160004
15.	Staff Selection Commission	339	60	14	----	----	----	10089
	AD in H.P. Secretariat							
16.	General Administration	12	----	----	----	----	----	465
17.	Urban Development	43	----	----	----	----	----	660
18.	Revenue	269	36	1	1	----	----	12524
19.	Forest	46	----	4	1	----	----	2207
20.	Co-operation	12	----	----	----	----	----	450
21.	Social Justice	5	----	----	----	----	----	0
22.	Law	18	1	1	1	----	----	1135
23.	Administrative Reforms	7	----	----	----	----	----	50
24.	Ayurveda	29	----	----	----	----	----	650
25.	Labour & Employment	26	13	13	2	----	----	3110

26.	Animal Husbandry	33	----	----	----	----	----	2860
27.	Education	39	----	----	1	----	----	750
28.	Housing	2	----	----	----	----	----	60
29.	Transport	22	----	1	1	----	----	405
	Directorates							
30.	Animal Husbandry	432	----	8	1	----	----	26107
31.	Language, Art & Culture	20	----	-----	3	----	----	1100
32.	Cooperation	585	41	12	12	----	----	23364
33.	Elementary Education	2383	----	81	5	----	----	27711
34.	Higher Education	3017	25	90	20	----	----	33406
35.	Ayurveda	119	-----	4	1	----	----	2740
36.	Information & Public Relations	81	6	----	----	----	----	2560
37.	Estate	7	----	----	----	----	----	132
38.	Jal Shakti	2583	336	105	14	1		106386
39.	Public Works Department	3650	515	113	16	----	1	118768
40.	Information Technology	15	-----	3	----	----	----	510
41.	Dental Health	8	----	----	----	----	----	300
42.	Health & Family Welfare	384	-----	12	4	----	----	8524
43.	Food & Civil Supplies	342	5	8	1	----	----	9269
44.	Forest	2577	15	67	12	----	----	56894
45.	Forensic	86	----	1	1	----	----	2927

	Services							
46.	Police	5756	74	123	11	----	----	142921
47.	Transport	601	----	10	----	----	----	25645
48.	Horticulture	145	----	8	3	----	----	5270
49.	Industries	412	----	16	1	----	----	16663
50.	Excise & Taxation	376	10	24	----	----	----	10210
51.	Sainik Welfare	140	1	7	----	----	----	3124
52.	Vigilance	16	----	1	----	----	----	650
53.	SV&ACB	159	13	4	----	----	----	3685
54.	Economics & Statistics	10	----	----	----	----	----	180
55.	Consolidation of Holdings	8	----	----	----	----	----	80
56.	Land Records	131	----	----	----	----	----	3450
57.	Labour & Employment	345	---	9	----	----	----	16147
58.	Rural Development & Panchayati Raj	6994	12	466	57	1	3	88016
59.	Settlement (Shimla)	186	----	4	----	----	----	5118
60.	Settlement (Kangra)	500	----	14	1	----	----	16869
61.	Printing & Stationery	5	----	1	----	----	----	260
62.	Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and Specially Abled	191	----	9	----	----	----	4043
63.	Tourism	152	----		2	----	----	5174
64.	HIPA	34	----	1	----	----	----	2397

65.	Women & Child Development	421	3	12	1	----	----	10528
66.	Fire	9	----	----	----	----	----	170
67.	Urban Development	2199	----	229	15	----	----	45422
68.	Planning	79	----	1	----	----	----	1985
69.	Electrical Inspectorate	6	----	----	----	----	----	120
70.	Fisheries	32	----	----	----	----	----	957
71.	Election	92	----	----	----	----	----	4567
72.	Local Audit	6	----	----	----	----	----	650
73.	Home guards	86	1	4	----	----	----	2709
74.	Technical Education	220	----	7	----	----	----	9150
75.	Energy	36	----	2	----	----	----	2362
	Deputy Commissioners							
76.	Bilaspur	1218	----	24	6	----	----	24849
77.	Chamba	699	----	9	5	----	----	12425
78.	Hamirpur	1208	----	53	6	----	----	27864
79.	Kangra	2582	----	53	10	1	----	37635
80.	Kinnaur	145	----	----	----	----	----	3658
81.	Kullu	715	----	11	5	----	----	13853
82.	Mandi	1860	10	43	8	----	----	30429
83.	Shimla	1185		56	11	----	----	30342
84.	Sirmaur	348	19	32	5	----	----	8761
85.	Solan	1025	----	142	4	----	----	27712
86.	Una	730	----	23	3	----	----	12631
87.	Lahaul & Spiti	58	----	----	----	----	----	783

Corporations								
88.	HPFC	8	----	1	----	----	----	500
89.	Forest Corporation	276	----	35	----	----	----	13364
90.	H.P.M.C.	14	----	----	----	----	----	440
91.	Electronic Corporation	2	----	----	----	----	----	150
92.	MC Shimla	538	----	52	13	----	----	16856
93.	MC Dharamshala	147	----	32	4	----	----	2408
94.	General Industries	13	----	----	----	----	----	900
95.	HPSIDC	14	----	----	----	----	----	1442
96.	Shimla Jal Prabandhan Nigam Ltd.	121	----	6	1	----	----	704
97.	HRTC	341	----	10	7	----	----	
98.	Power Transmission Corporation	42	----	----	----	----	----	1670
99.	HP Road Infrastructure Dev. Corporation Ltd	2	----	----	----	----	----	120
100.	HP Minorities Finance & Development Corporation	5	----	----	----	----	----	120
101.	Power Corporation	66	3	3	----	----	----	4566
102.	Kaushal Vikas Nigam	4	----	----	----	----	----	----
Boards/ Societies								
103.	HP Infrastructure Development	2	----	----	----	----	----	20

	Board							
104.	HIMUDA	422	----	28	----	----	----	21511
105.	Technical Education Board	17	2	----	----	----	----	1250
106.	HIMURJA	79	----	1	----	----	----	4910
107.	Khadi & Village Industries Board	18	----	1	----	----	----	1496
	Universities/ Colleges							
108.	HP University, Shimla	971	12	20	2			32780
109.	Dr. Y. S. Parmar UoH&F	65	4	39	----	----	----	2783
110.	CSK HP Krishi Vishwa Vidyalaya Palampur	120	----	4	----	----	----	5925
111.	HP Technical University	18	----	4	----	----	----	340
112.	IGMC	63	----	----	----	----	----	1614
	Total	**53325**	**1218**	**2215**	**286**	**3**	**4**	**1434017**

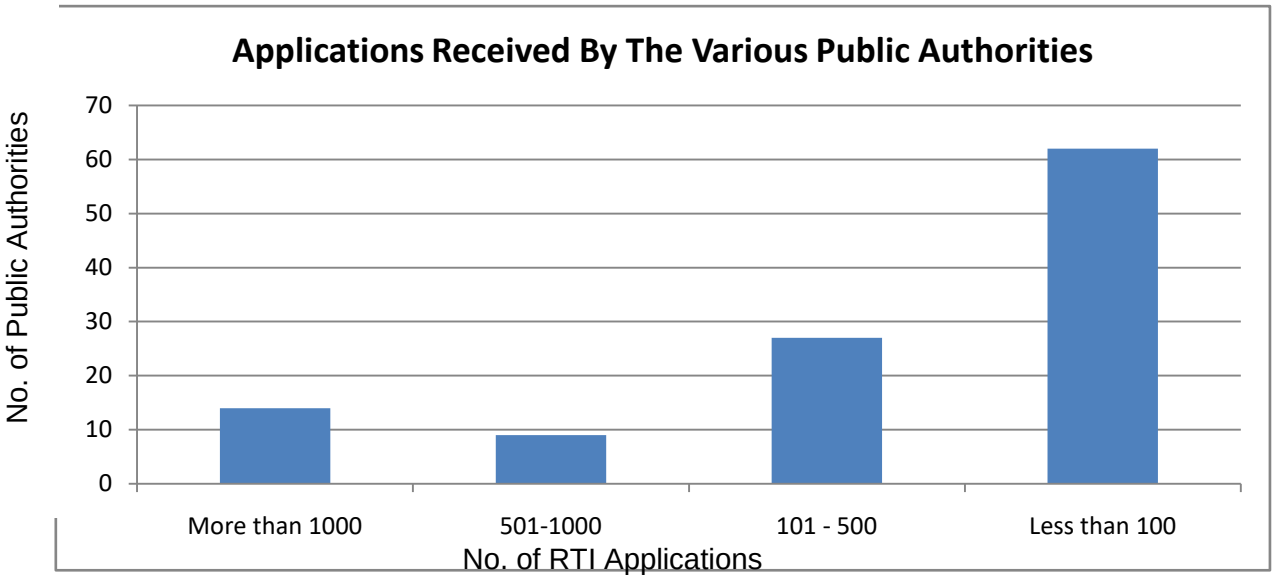
2. The above table clearly shows that the Public Information Officers of various public authorities in the state furnished the information to all the applicants except in 1218 cases where the applications were rejected. Thus only 2.3% of the total applications were rejected by the PIOs.

3. The public authorities have reported that most of the 1218 applications were rejected under section 8 of the RTI Act, 2005. The table above also shows that number of first appeals is also less than 4.2% of the total applications. The Himachal Pradesh State Information Commission received 286 appeals as against 2215 first appeals filed with the designated Appellate Authorities. In addition, the Commission also received 63 complaints during

the year for non-receipt of or receipt of incomplete information or delayed response from the PIOs. Thus the Commission received a total of 349 appeals/complaints as against a total of 53325 RTI applications filed with various public authorities during the year. The number of appeals/complaints received in the Commission is approximately 0.7% of the total applications. These figures lead to the conclusion that response of the PIOs in Himachal Pradesh to the requests for information received from the information seekers during the year 2020-21, has been quite satisfactory.

4. The table below gives the break-up of quantum of applications received by various public authorities in the state during the year 2020-21:-

Sr. No.	Public Authorities which received	Number
i	More than 1000 RTI applications	14
ii	501 to 1000 RTI applications	9
iii	101 to 500 RTI applications	27
iv	Less than 100 RTI applications	62
	Total number of public authorities which submitted the annual reports	**112**



5. Out of the total of 112 public authorities which submitted the annual reports during the year, 14 public authorities received more than 1000 applications, 9 of them received 501 to 1000 applications, 27 of them received 101 to 500 applications and the remaining 62 public authorities received less than 100 applications. 14 public authorities namely **Elementary Education, Higher Education, Jal Shakti Vibhag, Public Works Department, Forest, Police, Rural Development & Panchayati Raj, Urban Development, DC Offices Bilaspur, Hamirpur, Kangra, Mandi, Shimla and Solan** received more than 1000 applications during the year. It has been observed that a total of 51584 applications out of 53325 applications i.e. approximately 96.7% of the total applications were received by 50 public authorities. The remaining 62 public authorities received approximately 1741 of the total applications. Further, a fee of ₹1434017 has been collected by various public authorities during the same period.

———————

CHAPTER–6

Implementation of the RTI Act, 2005, During the Past Sixteen Years

The RTI Act, 2005 came into force w.e.f. 12th October, 2005. The public authorities initiated steps to implement various provisions of the Act namely the designation of PIOs/ APIOs & Appellate Authorities and publication under section 4 (i) (b) of the Act. The PIOs and APIOs started receiving applications even before the State Information Commission started functioning w.e.f. 01.03.2006. The details of RTI Applications received, first appeal filed and fee collected by the public authorities since October 2005 to 2020-21, are as under:-

Year	No. of Public Authorities	Total Applications Received	No. of Applications Rejected by PIOs	First Appeals Received by 1st Appellate Authorities	Amount of fee collected (in ₹)
2006-07	110	2,654	119	127	2,34,281
2007-08	118	10,105	283	267	6,00,495
2008-09	124	17,869	259	338	8,07,939
2009-10	134	43,835	442	706	10,89,504
2010-11	125	55,463	701	1220	14,32,417
2011-12	132	72,191	840	1381	19,56,046
2012-13	110	61,202	1396	1232	14,45,954
2013-14	110	63,722	1074	1716	14,98,202
2014-15	80	50675	2143	635	11,14,962
2015-16	62	46430	684	1558	10,02,958
2016-17	101	60,104	1981	1899	14,69,999
2017-18	103	59,529	3737	1623	13,60,248
2018-19	107	64,233	515	2197	19,02,362
2019-20	114	62722	1596	2017	15,44,096
2020-21	112	53325	1218	2215	1434017

2. The above table shows that awareness about the Act has been increasing year after year. The percentage of rejection of applications by PIOs has also been going down year after year. Thus the response of the PIOs has been showing a positive trend over the years.

3. The year-wise details of appeals received in the State Information Commission from 01.03.2006 upto 31.03.2021 are as under:-

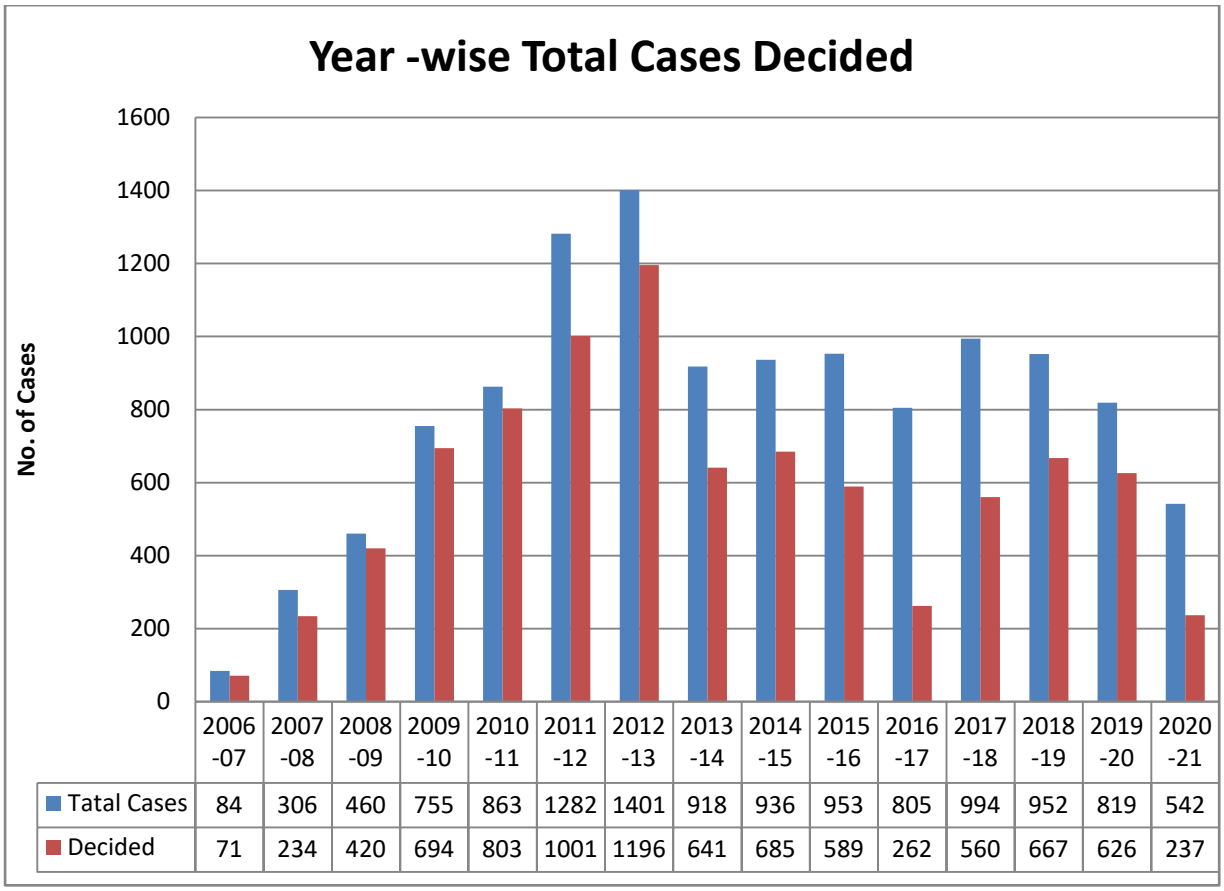
Total Appeals Received and Decided from 01.03.2006 to 31.03.2021					
Period	**In Process at the beginning of the year**	**Received during the year**	**Total appeals**	**Decided during the year**	**In Process at the end of the year**
1.3.2006 to 31.3.2007	-----	32	32	24	8
1.4.2007 to 31.3.2008	8	155	163	125	38
1.4.2008 to 31.3.2009	38	180	218	195	23
1.4.2009 to 31.3.2010	23	270	293	276	17
1.4.2010 to 31.3.2011	17	300	317	277	40
1.4.2011 to 31.3.2012	40	451	491	379	112
1.4.2012 to 31.3.2013	112	427	539	429	110
1.4.2013 to 31.3.2014	110	670	780	522	258
1.4.2014 to 31.3.2015	258	615	873	638	235
1.4.2015 to 31.3.2016	235	635	870	534	336
1.4.2016 to 31.3.2017	336	428	764	236	528
1.4.2017 to 31.3.2018	528	425	953	537	416
1.4.2018 to 31.3.2019	416	455	871	605	266
1.4.2019 to 31.3.2020	266	476	742	553	189
1.4.2020 to 31.3.2021	189	286	475	193	282
Total		***5805***		***5523***	

4. The year-wise details of complaints received in the Commission from 01.03.2006 to 31.03.2021 are as under:-

Total Complaints Received and Decided from 01.03.2006 to 31.03.2021					
Period	**In Process at the beginning of the year**	**Received during the year**	**Total complaints**	**Decided during the year**	**In Process at the end of the year**
1.3.2006 to 31.3.2007	-----	52	52	47	5
1.4.2007 to 31.3.2008	5	134	139	105	34
1.4.2008 to 31.3.2009	34	204	238	221	17
1.4.2009 to 31.3.2010	17	445	462	418	44
1.4.2010 to 31.3.2011	44	503	547	526	21
1.4.2011 to 31.3.2012	21	770	791	622	169
1.4.2012 to 31.3.2013	169	693	862	767	95
1.4.2013 to 31.3.2014	95	43	138	119	19
1.4.2014 to 31.3.2015	19	44	63	47	16
1.4.2015 to 31.3.2016	16	67	83	55	28
1.4.2016 to 31.3.2017	28	13	41	26	15
1.4.2017 to 31.3.2018	15	26	41	23	18
1.4.2018 to 31.3.2019	18	63	81	62	19
1.4.2019 to 31.3.2020	19	58	77	73	4
1.4.2020 to 31.3.2021	4	63	67	44	23
Total		***3178***		***3155***	

5. The year-wise details of the appeals and complaints received in the Commission from 01.03.2006 to 31.03.2021 are as under:-

Year-wise Break up of Appeals and Complaints Received & Decided by the Commission from 01.03.2006 to 31.03.2021					
Period	**In Process at the beginning of the year**	**Received during the year**	**Total**	**Decided during the year**	**In Process at the end of the year**
1.3.2006 to 31.3.2007	-	84	84	71	13
1.4.2007 to 31.3.2008	13	293	306	234	72
1.4.2008 to 31.3.2009	72	388	460	420	40
1.4.2009 to 31.3.2010	40	715	755	694	61
1.4.2010 to 31.3.2011	61	803	863	803	61
1.4.2011 to 31.3.2012	61	1221	1282	1001	281
1.4.2012 to 31.3.2013	281	1120	1401	1196	205
1.4.2013 to 31.3.2014	205	713	918	641	277
1.4.2014 to 31.3.2015	277	659	936	685	251
1.4.2015 to 31.3.2016	251	702	953	589	364
1.4.2016 to 31.3.2017	364	441	805	262	543
1.4.2017 to 31.3.2018	543	451	994	560	434
1.4.2018 to 31.3.2019	434	518	952	667	285
1.4.2019 to 31.3.2020	285	534	819	626	193
1.4.2020 to 31.3.2021	193	349	542	237	305
Total		***8991***		***8686***	



	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Tatal Cases	84	306	460	755	863	1282	1401	918	936	953	805	994	952	819	542
Decided	71	234	420	694	803	1001	1196	641	685	589	262	560	667	626	237

6. The above chart shows that during the year 2006-2007, 84 appeals and complaints were received from the appellants/ complainants against 2654 RTI applications received by the Public Authorities, during this year which is approximately 3.2% of the total RTI applications. During the year 2007-2008, 293 appeals and complaints were received from the appellants/ complainants against 10,105 RTI applications received by the Public Authorities which is approximately 2.8% of the total RTI applications. During the year 2008-2009, 388 appeals and complaints were received from the appellants/ complainants against 17,869 RTI applications received by the Public Authorities which is approximately 2% of the total RTI applications. During the year 2009-10, 715 appeals and complaints were received as against 43,835 RTI applications which is approximately 1.6% of the total applications. During the year 2010-11, 803 appeals and complaints were received as against 55,463 RTI applications which is approximately 1.4% of the total applications. During the year 2011-12, 1221 appeals and complaints were received as against 72,191 RTI applications which is approximately 1.7% of the total applications. During the year 2012-13, 1120 appeals and complaints were received as against 61,202 RTI

applications which is approximately 1.8% of the total applications. During the year 2013-14, 713 appeals and complaints were received as against 63,722 RTI applications which is approximately 1.1% of the total applications. During the year 2014-15, 659 appeals and complaints were received as against 50,675 RTI applications which is approximately 1.3% of the total applications. During the year 2015-16, 702 appeals and complaints were received as against 46,430 RTI applications which is approximately 1.5% of the total applications. During the year 2016-17, 441 appeals and complaints were received as against 60104 RTI applications which is approximately 0.7% of the total applications. During the year 2017-18, 451 appeals and complaints were received as against 59,529 RTI applications which is approximately 0.8% of the total applications. During the year 2018-19, 518 appeals and complaints were received as against 64233 RTI applications which is approximately 0.8% of the total applications. During the year 2018-19, 518 appeals and complaints were received as against 64233 RTI applications which is approximately 0.8% of the total applications. During the year 2019-20, 534 appeals and complaints were received as against 62722 RTI applications which is approximately 0.8% of the total applications. During the year under report, 349 appeals and complaints were received as against 53325 RTI applications which is approximately 0.7% of the total applications. The above calculated percentage shows that the performance of the PIOs has been improving year after year during the past sixteen years.

7. During the last sixteen years, 8991 appeals and complaints have been decided by the Commission. However only 68 Civil Writ Petitions have been filed in the High Court of Himachal Pradesh against the decisions/ orders of the State Information Commission. The details of these writ petitions are as under:-

Sr. No.	Case Title/ Case No.	Status
1.	H.P. Public Service Commission V/S State Information Commission CWP-96/09	Decided
2.	State of H.P. V/S Sh. Surinder Singh Mankotia CWP-3823/2009	Decided
3.	State of H.P. V/S Dr. P.K. Aditya CWP-2418/2010	Pending in the High Court
4.	Justice M.R.Verma (Retd.) V/S State Information Commission CWP-2070/2010	Decided

5.	Justice M.R.Verma (Retd.) V/S State Information Commission CWP-1964/2010	Decided
6.	State of H.P. V/S Sh. Sanjay Gupta CWP-1050/2010	Decided
7.	Ms. Kalpna Grover V/S State of H.P. CWP-4632/2010	Decided
8.	Sh. Sanjay Mandyal V/S State of H.P. CWP-5418/2010	Decided
9.	Smt. Ram Payari V/S State of H.P. CWP-6404/2010	Decided
10.	Sh.Ram Ashra V/S State of HP CWP 7462/2010	Decided
11.	State of HP V/S Sh. Archit Sant and others CWP-7767/2010	Decided
12.	Sh. Dharam Pal V/S State of HP and others CWP-2446/2010	Decided
13.	The Secretary Lokayukta V/S Sh.Hari Krishan and others CWP 533/2011	Decided
14.	Miss Ritwik Chauhan V/S State of HP CWP-1910/2011	Decided
15.	CWP 8794/2011 Shri Ved Parkash Vs. State Information Commission & others	Decided
16.	CWP No. 11220 of 2011 M/s Kanchanjanga Power Co. Pvt. Ltd., V/s State Information Commission,H.P.	Decided
17.	CWP No. 1240/2010 Shri Swapan Kumar Thakur, Vs SIC & another	Decided
18.	CWP No. 640/2012 Shri Sanjay Hindwan Vs State Inforamtion Commission, DFO, Solan and E.O. MC, Solan	Decided
19.	CWP No. 2435/2012 The Didwin Co-operative Society vs State of HP	Decided
20.	CWP No. 6072/2012 BDO Paonta Sahib vs. State of HP	Decided
21.	CWP No. 9166/2012 Prakash Chand Negi Vs. State Information Commission	Decided
22.	CWP No.9210 /2012 Prakash Chand Negi Vs. State Information Commission	Decided
23.	CWP No. 8196/2012 Baghal Land Looser Transport Co-operative Society Ltd. Vs. State of HP	Decided
24.	CWP No. 9109/2012 The Ambuja Darla Kashlog Mangu Transport Co-operative Society Ltd. Vs. State of HP	Decided
25.	CWP No. 5975/2012 P.C.Manhas Vs. State of HP	Decided
26.	CWP No. 63/2013 Voluntary Health Association Vs. State of HP	Pending in the High Court
27.	CWP No. 798/2013 Anjala Kumari Vs. State Information Commission	Decided
28.	CWP No. 4618/2013	Pending in the High

	Indresh Dhiman Vs. State of HP	Court
29.	CWP No.6914/2013 Rajesh Chandra Vs. State Of HP.	Pending in the High Court
30.	CWP No. 7167/2013 Tanu Priya Vs. State of HP.	Decided
31.	CWP No. 7834/2013 Shyam Lal Vs. State of HP.	Decided
32.	CWP No. 6537/2013 Phool Singh Vs. State of HP.	Decided
33.	CWP No. 8900/2013 Amar Singh Vs. State of HP.	Pending in the High Court
34.	CWP No. 9139/2013-D Advocate General Vs. Dev Ashish Bhattacharya	Decided
35.	CWP No. 9108/2013 Madhu Negi Vs. State Information Commission and Others.	Decided
36.	CWP No. 294/2014 Ravi Kumar Vs. State of HP.	Decided
37.	CWP No. 2242/2014 Hira Singh Vs . State of HP & Othrs.	Decided
38.	CWP No. 5410/2014 Hitesh Chand Vs . State of HP & Othrs.	Decided
39.	CWP No. 5434/2014 Rakesh Thakur Vs State Information Commission	Pending in the High Court
40.	CWP No. 6572/2014 Yog Raj Vs. State of HP & Othrs	Decided
41.	CWP No. 8511/2014 Ajay Prashar Vs . State of HP & Othrs	Decided
42.	CWP No. 555/2015 Lawan Thakur Vs State of HP	Decided
43.	CWP No. 1367/2015 Shekhar S. Srivastava Vs State Information Commission	Decided
44.	CWP No. 684/2015 Roshan Lal & Others Vs State Information Commission	Decided
45.	CWP No. 3034/2015 Jagdish Kumar Vs State of HP	Decided
46.	CWP No. 3144/2015 Priyanka Gandhi Vs State of HP	Pending in the High Court

47.	CWP No. 3625/2015 Vikram Singh Vs State of HP	Pending in the High Court
48.	CWP No. 3767/2015 Ramesh Kumar Nadda Vs State Information Commission	Pending in the High Court
49.	CWP No. 4272/2015 PIO HP State Pollution Control Board Vs State Information Commission	Pending in the High Court
50.	CWP No. 385/2016 Sangeeta Devi Vs State of HP	Pending in the High Court
51.	CWP No. 3450/2016 Sukhjit Singh Vs State Chief Information Commissioner	Decided
52.	CWP No. 1731/2016 Nihal Singh Vs State of HP	Decided
53.	CWP No. 2288/2016 Samsher Singh Vs. State of HP	Decided
54.	CWP No. 1879/2016 K.R. Saizal Vs State of HP	Pending in the High Court
55.	CWP No. 1714/2017 Madan Lal Shrama Vs State of HP	Decided
56.	CWP No. 2728/2017 Rajinder Singh Vs State of HP	Decided
57.	CWP No. 351/2018 Narayan Mishra Vs State of HP	Decided
58.	CWP No. 2033/2018 Yash Pal Singh Vs State of HP	Pending in the High Court
59.	CWP No. 1106/2018 Pratap Singh Vs State of HP	Pending in the High Court
60.	CWP No. 1350/2018 Dr. Sukhjit Singh Vs State of HP	Pending in the High Court
61.	CWP No. 3003 & 3004/2018 Himender Kumar Vs State of HP & Others	Decided
62.	CWP No. 78/2019 DAV Centenary Public School Theog Vs State of HP	Pending in the High Court
63.	CWP No. 392/2019 Central University of HP Vs. State Information Commission	Pending in the High Court
64.	CWP No. 1038/2019 Sh. Hira Nand Vs. State Information Commission & Others	Pending in the High Court
65.	CWP No. 4429/2019 Manav Bharati University Vs. State Information Commission & Others	Pending in the High Court
66.	CWP No. 1322/2019 Abhinav Chauddhary Vs. State of HP & Others	Pending in the High Court
67.	CWP No. 1855/2020 Abhishek Thakur Vs. State Information Commission & Others	Pending in the High Court
68.	CWP No. 3088/2020 Dr. (Major) Sukhjit Singh Vs. State Information Commission	Pending in the High Court

CHAPTER – 7

Use of Information Technology and New Initiatives Taken by State Information Commission

The Himachal Pradesh State Information Commission has placed the following information/documents on the website of the Commission (sic.hp.gov.in) :-

(i) The Right To Information Act, 2005 and HP RTI Rules, 2006

(ii) Manual of the Himachal Pradesh State Information Commission under section 4(1) (b) of the RTI Act, 2005.

(iii) The Himachal Pradesh State Information Commission (Management) Regulations, 2008.

(iv) Decisions of appeals and complaints filed in the Commission.

(v) Cause list of appeals & complaints

(vi) Annual Reports of previous years

2. The State Information Commission, H.P. has innovated a computerized system of registration of complaints/appeals and responses from PIO's, Public Authorities and for general public which enables the Commission and other stake holders to have all the information readily available about the appeals/complaints received, in process and disposed off on a daily basis. Through this software application, office of the Commission diarises every letter received from the applicant, complainant, appellant and others after scrutiny and categorization of the same as Complaint (C), Appeal (A), Response (R) & General (G) on the following basis :

1	Appeals	'A'	The petitions being filed by citizens/appellants as per relevant HPRTI Rules/ u/s 19 of the RTI Act.
2	Complaints	'C'	The petitions/complaints u/s 18 as per relevant HP RTI Rules.
3.	Responses	'R'	The responses being received from PIO's/other officers/citizens w.r.t. to the ongoing inquiries/appeals before the Commission are marked to Reader of Court-I/Court-II as the case may be.
4	General	'G'	All the papers except mentioned at Sr. No. (1), (2) and (3) above are marked as 'G' and further marked to General Section for disposal.

This software application has helped to track, compile and monitor the disposal of each and every paper received in the Commission in a transparent and expeditious manner.

3. The State Information Commission, Himachal Pradesh has set up a Video Conferencing System which is facilitating the Appellant/ Public Information Officers to participate in the hearing without incurring additional cost of travel to the office of State Information Commission at Shimla and also saving their precious time enabling them to devote such time to office work. The active participation of applicant/ appellant is also encouraging better implementation of the Act.

4. During the year 2020-21, COVID-19 pandemic had spread worldwide and India was also hit badly by the virus. Government of India had imposed restrictions on movement and gatherings and various advisories, SOPs and guidelines were enforced throughout the year to contain the virus. During this period, hearings of complaints and appeals were conducted through mobile video conferencing for facilitating the appellants as well as PIOs at their home as they could not travel to the headquarters of State Information Commission.

5. In order to further strengthen the RTI regime at the grass root level and to facilitate the information seekers at their door step, the State Information Commission has taken a decision to hold periodical hearings of complaints and appeals at district levels. This initiative has facilitated the RTI applicants to participate in the hearings without incurring an additional cost of travel to the State Capital headquarters where the office of State Information Commission is situated. Active participation of RTI applicants is an encouraging sign of better implementation of the Right to Information Act.

6. The State Information Commission, Himachal Pradesh in coordination with Administrative Reforms Department, Himachal Pradesh Institute of Public Administration (HIPA) and Districts Administration is organizing workshops in all the twelve districts of Himachal Pradesh, on a periodical basis for the First

Appellate Authorities, PIOs, APIOs, and other stakeholders like elected representatives of Panchayats, Urban Local bodies, Mahila/Yuvak Mandals and media personnel. These workshops have really proved effective in creating awareness about the RTI Act in its real perspective.

CHAPTER – 8

Observations and Recommendations

In the earlier reports submitted under section 25(1) of the RTI Act, 2005, the Himachal Pradesh State Information Commission had made certain recommendations for smooth and effective implementation of the RTI Act, 2005 in the State of Himachal Pradesh. The State Government has taken action on these recommendations. However, the attention of the Government is drawn to some of the recommendations which require further action at the level of the State Government. These are being included as part of the observations and recommendations made in the annual reports in a tabular form:

Sr.No.	Observations and Recommendations	Status of Action Taken
1.	In the earlier First to Fifteenth reports, the Commission had recommended finalization of a time bound programme for implementing the following provisions of Section 4 (1) (a) of the RTI Act, 2005:- "Every public authority shall:- • Maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under the Act; and • ensure that all records that are appropriate to be computerized are, within a reasonable time and subject to availability of resources, computerized and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated."	On this recommendation the Administrative Reforms has sent letters to Public Authorities to comply with this recommendation and most of the Public authorities have followed it.
2.	In earlier First to Fifteenth reports Commission had recommended the implementation the provisions of Section 4 (1) (b) of the RTI Act, 2005. But the information under this Act has not been published/ updated by the large number of public authorities. Hence, the Department of Administrative Reforms	On this recommendation the Administrative Reforms has sent letters to Public Authorities to meet this recommendation and most of the Public authorities

	may take concrete steps to ensure that the provisions of section 4 (1) (b) of the RTI Act, 2005 are implemented in letter and spirit by all the public authorities under the State Govt.	have followed it.
3.	From the First to Fifteenth Annual Reports, it was recommended that the Department of Administrative Reforms may take concrete steps for implementing the provisions of the RTI Act, 2005/ HPRTI Rules, 2006 for rightful propagation of the Act and the Rules by imparting trainings to APIOs, PIOs and Appellate Authorities. In view of this, a large number of APIOs, PIOs and First Appellate Authorities of the Rural Development Department, Education Department and other big departments in the state have been imparted training. More training programmes are required to be organized by HIPA.	The Himachal Pradesh Institute of Public Administration Shimla, has intimated that they are continuously conducting training programmes and workshops for the PIOs, other officers of the State Government and are imparting training to officials of various departments. HIPA has substantially increased the number of training programmes for the PIOs and APIOs.
4.	In the Seventh to Fifteenth Report, it was recommended that the Departments are not maintaining the record/ files as per the Office Manual, wherein, it is mandated to open subject-wise files, having noting and correspondence part separately on the file. Even records are not being classified as permanent and of periodical duration in a transparent manner. Maintenance of File Index Register and Guard File are not being ensured as per Office Manual which leads to a delay in providing the information to the information seeker and is a violation of the provisions of section 4(1)(a) and (b) of RTI Act, 2005.The departments be directed to ensure compliance of the Office Manual in this regard in a time bound manner.	On this recommendation the Administrative Reforms Department has sent letters to Public Authorities to meet this recommendation and most of the Public authorities have followed it.

5.	In the earlier reports, the Commission had recommended the Training and Sensitization Programmes for the First Appellate Authorities of the Public Authorities and Heads of Departments of the Public Authorities.	The Himachal Pradesh Institute of Public Administration Shimla, has conducted programmes for the First Appellate Authorities of the State Government
6.	In the Fourth to Fifteenth Annual Reports, the Department of Administrative Reforms was requested to finalise an appropriate scheme of periodic inspections in various offices to ensure that provisions of RTI Act, 2005 are being implemented effectively. Further, during the course of hearing of second appeals/ complaints, Commission has observed that most of the cases have been filed in the Commission against the First Appellate Authorities as in most of the cases First Appellate Authorities have not decided first appeals as per the provisions of section 19(6) of RTI Act, 2005 in the prescribed time period or by passing written orders and have not decided the appeals on merit as per Rule 6(5) of HP RTI Rules, 2006 (Sixth Amendment). Hence, there is a dire need to inspect the RTI registers maintained by PIOs to ensure timely disposal of applications as well as the disposal of first appeals efficiently by the First Appellate Authorities. Such a step is likely to reduce the filing of complaints and 2nd appeals in the Commission. Consequently the Department of Administrative Reforms may issue instructions to all the departments that the provisions of RTI Act and Regulations may also be included as one of the components in the department's regular inspection schedules and it be a part of the general inspection of the field offices.	The Administrative Reforms Department has issued administrative instructions to all the public authorites in the state. However, more concrete steps need to be taken in this regard. Also, First Appellate Authorities need to dispose of first appeals efficiently which will reduce the filing of complaints and second appeals in the Commission. This will help to save precious time and money of information seekers.

7.	In the Sixth to Fifteenth report, it was recommended that as per provisions of section 2(j) of the RTI Act, 2005, the citizens have a right to inspect works being executed by public authorities. But there is no provision in HP RTI Rules, 2006 regarding charging of fee for such an inspection. These rules also do not prescribe any procedure regarding inspection of work by an applicant as envisaged in the aforesaid section of the Act. It is, therefore, again recommended that a suitable provision may be incorporated in HP RTI Rules, 2006 to enable the information seekers to inspect any work under execution by a Public Authority of the State Govt. on the basis of prescribed payment of fee.	On this recommendation the Administrative Reforms Department has taken up the matter up with the Law Department to make necessary amendments in Rule 5 of HP RTI Rules, 2006 and same is under consideration with the Law Department.
8.	During the course of various hearings at Commission level it has been observed that various Public Authorities have designated the PIO's who are not in the rank of officer level. For instance, Panchayati Raj Department have designated Panchayat Secretaries as PIO's who are class-III employees working in official hierarchy and most of them are on Contract basis. Such designations of PIO's are in violation of Section 5 (1) of RTI Act, 2005 which requires that PIO should belong to an officer category. The relevant clause of the Act is reproduced as under: **Section – 5(1):-** "Every Public Authority shall, within one hundred days of the enactment of this Act, designate as many **officers as the CPIO or SPIO**, as the case may be, in all administrative units or offices under it as may be necessary to provide information to persons requesting for the information under this Act." The Commission therefore recommends that the State Govt. should direct all Public	On this recommendation the Administrative Reforms has taken the matter up with Panchayati Raj Department which in response has informed that there is no other officer/ official posted in the panchayat office other than Panchayat Secretary and further added that there is no provision in RTI Act, 2005 to appoint any officer/ official of one public authority as Public Information Officer of another public authority.

	Authorities to designate PIOs who are at least class-II level officers and permanent employees of the Government so that they are able to access information from concerned quarters and who can also be held responsible for any omissions/commissions in dealing with RTI Act, 2005.	

The above recommendations from Sr.No. 6 to 8 are again reiterated. The other recommendations and observations are as under:

The Commission has recommended in the Thirteenth to Fifteenth Annual Reports that awareness programs on Right to Information Act, 2005 should be held covering the villages of state on priority basis so that the citizens residing in rural area become well aware of provisions of RTI Act Right to Information Act, 2005. This recommendation is again reiterated.

The Commission has examined the reports received from the Public Authorities pertaining to the receipt of RTI applications from information seekers during the year 2020-21. It has been observed that out of a total of 53325 RTI applications filed by the information seekers during the year, requests were rejected by the PIOs concerned only in 1218 cases and 2215 first appeals were filed during the year. The Commission received 63 complaints and 286 second appeals during 2020-21. The small number of first appeals filed by applicants and the total number of complaints and second appeals received in the Commission do indicate that the applicants were generally satisfied with the response of the PIOs in the State. While considering the complaints and appeals, it has, however been observed by the Commission that most of the complaints and appeals pertained to delay in receiving appropriate response from the PIOs. In a number of cases, the delay could be attributed to lack of awareness on the part of PIOs about various provisions of the RTI Act, 2005 and the Rules made there under. It was also observed in some cases that the applicants appeared to be unaware of the scope of the RTI Act, 2005. Quite a large number of applicants/appellants

expected the redressal of their grievances through their RTI applications and complaints/ appeals filed before the State Information Commission, whereas empowering citizens from the existing information/ record maintained by public authority is the essence of this act.